Saturday, 29 April, 1978

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

6th Lok Sabha

4th Session

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय सूची/ CONTENTS

अंक 47, शनिवार, 29 अप्रैल, 1978/9 वैशाख, 1900 (शक)

No. 47 Saturday, April 29, 1978/Vaisakha 9, 1900 (Saka)

विषय सूची	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGE
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	1—2
दिवाला विधि (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Insolvency laws (Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना–	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	2—3
गुलबर्ग रेलवे स्टेशन के निकट तथा रेलवे पुल के नीचे भी बमों का पाया जाना	Recovery of bombs near Gulbarga Railway Station and also under Railway Bridge	
श्री राजशेखर कोलूर	Shri Rajshekhar Kolur	2
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal	3
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	3
सभा का कार्य	Business of the House	3—4
वित्त विधेयक 1978	Finance Bill, 1978	4—
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री मत्युंजय प्रसाद वर्मा	Shri Mrityunjay Prasad Verma	4
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	5
श्री राम लाल राही	Shri Ram Lal Rahi	7
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	7
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	8
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	Shri Rajendra Kumar Sharma	11
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	11
श्री सी० एन० विश्वनाथन	Shri C. N. Visvanathan	12
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	19

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
खण्ड 2 से 40 और 1	Clauses 2 to 40 and I	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	52
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundaram	53
श्री विनोदभाई बी० शेठ	Shri Vinodbhai B. Sheth	54
श्री रूप नाथ सिंह यादव	Shri Roop Nath Singh Yadav	55
श्री गोविन्द राम मिरी	Shri Gobind Ram Miri	56
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Fatel	56
निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक	Deposit Insurance Corporation (Amendment and Miscellaneous Provisions) Bill	58—59
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	–
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	58
खंड 2 से 9 और 1	Clauses 2 to 9 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Fatel	59

लोक सभा

LOK SAHBA

शनिवार, 29 अप्रैल, 1978/9 वैशाख, 1900 (शक)

Saturday, April 29, 1978/*Vaisakha* 9, 1900 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha Met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
(MR. SPEAKER *in the chair*)]

SHRI SURENDRA BIKRAM (Shahjahanpur) : Mr. Speaker, 8 thousand workers of Birla Group in Gwalieor are on strike.....

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल जैसा कोई प्रावधान नहीं है। आपको कुछ करने से पूर्व मेरी अनुमति लेनी चाहिए। जब तक आप मुझे लिख कर नहीं देंगे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

नौसेनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1978.

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं श्री जनगजीवन राम की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 106 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हुं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 2213/78]।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

दिवाला विधि (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है कि राज्य सभा ने 26 अप्रैल, 1978 की अपनी बैठक में दिवाला विधि (संशोधन) विधेयक पारित किया है जिसकी प्रति संलग्न है।

मैं दिवाला विधि (संशोधन) विधेयक, 1978, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हुं"।

अविलम्बनीय लोक महत्व के बिषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गुलबर्गा रेलवे स्टेशन के निकट तथा एक रेलवे पुल के नीचे भी बमों का पाया जाना

श्री राजशेखर कोलूर (रायचूर) : श्रीमान्, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हुं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"गत सप्ताह गुलबर्गा रेलवे स्टेशन के निकट सेना के चिन्ह वाले चार बमों तथा मध्य रेलवे के एक पुल के नीचे भी बमों के पाये जाने का समाचार"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : महोदय, 18 और 19 अप्रैल, 1978 को गुलबर्गा रेलवे स्टेशन के निकट चार ग्रेनेडों की बरामदगी सरकार के ध्यान में आई है। कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 18 अप्रैल को प्रात: प्राईवेट टैक्सटाइल मिल के एक प्रहरी ने गुलबर्ग रेलवे स्टेशन के पूर्व की ओर गोदाम की तरफ दो हथगोले देखे। रेलवे पुलिस ने ग्रेनेड अपने कब्जे में कर लिए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की धारा 5(3) बी के अधीन एक मामला दर्ज किया। इसी प्रकार 19 अप्रल को प्रात: एक कुली ने प्लेटफार्म के पूर्वी किनारे के निकट रेलवे पुल के समीप दो ग्रेनेड देखे। इन ग्रेनेडों को भी रेलवे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अधीन एक अन्य मामला दर्ज किया।

हालांकि इन दो मामलों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है फिर भी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बरामद हुये ग्रेनेड सेना के हैं जो प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिये थे और हानिकारक नहीं हैं। तथापि स्थानीय पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है।

SHRI RAJSHEKHAR KOLUR : What the hon. Minister has stated here, has been allready published in the newspaper. There is nothing new in his statement. My main question was how the bombs having army markings were brought there and what was the purpose behind it. The Home Minister has failed in collecting informaiton on this matter. It is matter of great surprise that these have been located by persons other than railway employees. What were gangmen and Railway protection force men doing. Some news have appeared that these bombs might have fallen from train while in transit. How does it happen and from where were these bombs being brought? This incident has been taken lightly. Have you inquired from the Defence department as from where these bombs were brought and at what place they were missed? Vague reply will not solve the problem. You will have to find out how they were found there and remained lying there unnoticed for two days. Such carelessness should not be there. Now

a days the public hesitate to travel by train as train journey has become dangerous. I want to know what positive steps you are taking to stop recurrence of such incidents in future and will you give strict punishment to the persons found guilty.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I assure you that Government does not want to ignore any incident. But at the same time the Government does not want to give undue importance to such matters. These bombs are harmless. They make sound only. The enquiry is being conducted and definite conclusions can be arrived at only after receiving the inquiry report. Train journey is not dangerous the hon. Member has mentioned it. The situation is fully under control.

अध्यक्ष महोदय : आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि यह कैसे हुआ ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : Nothing definite can be said till the enquiry report of the Police and Defnce department is received. I have been informed that armymen are given such grenades at the time of training. They sometimes take it to home. They use it for catching fishes also. Perhaps it might have fallen while in transit due to Carelessness by someone.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : This is a very serious matter and we should not take it lightly. The bomb belongs to the army. Unless some thing serious happens, such thing is often taken lightly. But if it assumes explosive situation, then we give serious attention to it. I fail to uuderstand why permission is given to carry it home. The Ministers should own responsibility for such incidents. Unless you take stringent action against officials, such things will take place again. You give assurances to this House. But again such things happened. There is a organised racket in the country which is creating trouble. I want to know whether the Government has found out the racket which is indulging in the Sabotage. You have said it was a matter of negligence. Then who is responsible for it? May I know whether you will conduct an enquiry into this matter and place all facts before the House?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : The hon. Member has sepressed fear whether some racket is not indulging in sabotage activities. But in this incident, it does not seem to be an act of sabotage. But I don't want to give definite opinion till the enquiry is completed by the Police and the Defence department. This is not a real handgrenade but it is used for training purposes and is harmless. Had the intention been of Sabotage then real handgrenade would have been used. However, final opinion can not be given till the enquiry is completed.

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि 2 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा :

(1) आज की कार्य सूची में से आगे ले जाए गये सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार करना ।

(2) विचार और पारित किया जाना :—

(क) बिजली (आपूर्ति) संशोधन विधेयक, 1977।

(ख) कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1978।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, 1978

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 1978।

(ङ) 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर 3 मई, 1978 को चर्चा की जायेगी।

वित्त विधेयक 1978

FINANCE BILL, 1978

अध्यक्ष महोदय : अब श्री एच० एम० पटेल द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा :

"कि वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

SHRI MRITUNJAY PRASAD VERMA (Siwan) : I am taking about Life Insurance Corporation of India. Twenty two years ago, when the Government had taken over the Companies engaged in insurance work, some companies were working in an excellent manner. Their expenditure was less and the bombs was more. The premium was also less and service to policy holders was good. The Government have taken over all these companies. But today after twnenty two years their condition has further deteriorated. Policy conditions have been made stringent. The practice of automatic paid up has been done away with. The time of paid-up policy has been increased from two years to five years. Unless 20 premiums are given, there is always risk of losing money. Allthough being a Government concern its business has increased manifold but its overall expenses have also similarly increased. The Government has treated the officers badly. Salaries scales of the Officers are not satisfactory. The office superintendent, who belongs to clerical grade, get more pay than a zonal managers. I know a case where an officer had refused offer of promotion simply because he was to lose in terms of monetary gains. Under such conditions. where an cfficer sees no future, how the Government is going to conduct the business of Life Insurance Corporation. The management cadre is vanishing steadily. That is why deterioration is creeping into the Corporation one of the reasons for decreased in the business of L.I.C. in 1977-78 by 30-31 percent was that development officers went on strike. The same position was in other Public Sector undertakings.

So far as the bonus is concerned there was an agreement between the Government and the staff of L.I.C. which was reached in 1974 but that agreement was made in effective in 1976 by the Government by eveeting a law, when the emergency was over the employees of L.I.C. challenged the law made by the Government in Supreme Court and Supreme Court decided the issue in favcur of the staff. My point is that on one hand Government holds that L.I.C. in an autonomous body and on the other hand Government issue instruction to it on any matter which suits the Government. It is not fair.

Now, I would like to draw the attention of the House to the wealths tax. Where the rules regarding wealth tax were framed the value of a property was

very low. Now with the increased value of the property the owner of that property is unable to pay the tax commensurate with the increased value of the property. I therefore, request that exemption of tax on property should be increased from Rs. one lakh to Rs. two lakhs. I also suggest that the method of computing property tax should be the same as the method of compiling income tax that is property tax should be changed on the value of properly exceeding Rs. one lakh and not on the entire value of the property.

I would also like to draw the attention of the House to the incident taken place in Kabul. It shows that frustrated people can go to any extent. We should not allow such things to happen in our counrtry. I also want to point out that to-day an organisation like congress is being named after the name of a person. Organisation may be immortal but how an individual can be immortal. (*Interruptions*)

This type of personality cult is bad with this approach no person can use his own mind and wisdom.

श्री अमृत नाहटा (पाली) : महोदय, मैं केवल उत्पादन शुल्क लगाये जाने, विमुद्रीकरण तथा रक्षा व्यय में अर्थव्यवस्था की क्षमता के बारे में ही बोलना चाहता हूं।

हमारे देश में उत्पादन शुल्क लागू करने वाले अधिकारी प्रत्येक निर्धारिती को दोषी समझते हैं जबकि प्रत्येक सभ्य देश में उसे अन्यथा सिद्ध होने तक निर्दोष समझा जाता है। उत्पादन शुल्क अधिकारी कारखानों में पुलिस की वर्दी में जाते हैं तथा उत्पादकों को डराते धमकाते हैं। उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करते हैं। यह दृष्टिकोण तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये। उत्पादन शुल्क अधिकारियों को इतनी अधिक शक्तियां दी गई हैं कि वे मन मानी करते हैं तथा भ्रष्टाचार वहीं से आरम्भ होता है।

उत्पादन शुल्क अधिकारी किसी भी वस्तु की जांच करके ने लिये उसे रोक सकते हैं तथा उस माल की महीनों जांच करते रहते हैं। इससे उत्पादकों को भारी नुकसान होता है तथा कभी-कभी वर्षा से उस माल के खराब होने की भारी आशंकाएं रहती हैं।

इसके अतिरिक्त हमारे देश में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है किन्तु उत्पादन शुल्क अधिकारियों के पास तकनीकी जानकारी न होने के कारण कहीं किसी वस्तु पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है और कहीं उसे इस शुल्क से माफी दे दी जाती है। एक अन्य समस्या यह है कि उत्पादक उत्पादन शुल्क अपनी जेब से नहीं देता वह इसे उपभोक्ताओं से वसूल करता है। कई बार उत्पादन शुल्क अधिकारी कहते हैं कि उत्पादन शुल्क कम दिया गया है। ऐसी स्थिति में कोई उत्पादक उस माल पर कहां से उत्पादन शुल्क देगा जो उसने पहले ही बेच दिया है। माल बेचने के बाद कोई उपभोक्ता तो उसे कोई शुल्क देगा नहीं। अतः उत्पादक उस स्थिति में कहां से उत्पादन शुल्क दे। यह उत्पादन शुल्क विभाग की प्रक्रिया का दोष है। कम उत्पादन शुल्क लगाकर बाद में अधिक उत्पादन शुल्क वसूल करने की व्यवस्था को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि आयकर विभाग की भांति उत्पादन शुल्क विभाग में भी कोई ऐसा प्राधिकारी होना चाहिये जो उत्पादकों की समस्या को सुनकर उसका समाधान कर सके। इस विभाग में कोई ऐसा निष्पक्ष प्राधिकारी होना चाहिये। जो अधिकारी अपनी

शक्तियों का दुरुपयोग करता है उसे दण्ड देने की व्यवस्था भी होनी चाहिये। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उत्पादन शुल्क अधिकारी ही उत्पादकों को भ्रष्ट बनाते हैं उन्हें बेईमानी स्वयं सिखाते हैं।

वर्षों से उत्पादन शुल्क राजस्व का महत्वपूर्ण अंग बन गया है तथा यह नीति का अंग बन गया है। हर वर्ष कहा जाता है कि इस मामले में प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है किन्तु वास्तविकता यह है कि हर वर्ष यह प्रक्रिया जटिल से जटिलता होती जा रही है।

यह खेद का विषय है कि सभा को नवीनतम समिति की सिफारिशों के बारे में नहीं बताया गया है। ज्ञात हुआ है कि इस समिति की एक सिफारिश यह है कि सरकार को केवल 15 से 20 वस्तुओं पर ही उत्पादन शुल्क लगाना चाहिये इसमें प्रक्रिया में बहुत सरलता आ जायेगी। क्योंकि इन वस्तुओं से ही लगभग 90 प्रतिशत उत्पादन शुल्क वसूल किया जाता है।

सरकार की यह घोषित नीति है कि लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा। किन्तु सरकार ने साथ ही, एक नई नीति निर्धारित की है वह है उत्पादन की। इस कानून के अंतर्गत जिस उद्योग का उत्पादन 30 लाख रुपयों से अधिक होगा उस पर 5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस कानून के अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र और कुटीर उद्योग भी आते हैं। यदि यह कानून ही अपनाना है तो उससे लघु उद्योगों को क्या राहत मिलेगी? मेरा विचार है कि लघु उद्योगों पर किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये।

जहां तक अवमूल्यन का प्रश्न है अधिक मूल्य के नोटों का अवमूल्यन करने से अर्थ-व्यवस्था या काले धन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। मेरा विचार है कि जब तक 100 रुपये के नोट का अवमूल्यन नहीं किया जायेगा तब तक काले धन पर रोक तथा मुद्रास्फीति के क्षेत्र में पूरी सफलता नहीं मिलेगी। मेरा सुझाव है कि यह घोषणा कर दी जाये कि पहली जून से एक महीने की अवधि तक 100 रुपये का नोट वैद्य होगा तथा इस अवधि में कोई भी व्यक्ति इस नोट को बदल सकता है। यदि सरकार इतनी अवधि दे दे तो इस समस्या का पूरा हल हो सकता है तथा देश में कोई अव्यवस्था नहीं होगी। इस राशि से 25 वर्षीय बोंड खरीदने की व्यवस्था भी की जा सकती है तथा उस राशि को देश के विकास कार्यों में लगाया जा सकता है।

हमारे देश में रक्षा व्यय की राशि 3,000 करोड़ रुपये है। क्या हमारा देश इतनी बड़ी राशि खर्च करने की स्थिति में है? मेरा सुझाव है कि अमरीका की भांति हमारे देश में भी रक्षा व्यय में कमी करने के सुझाव देने के लिये एक समिति बनाई जानी चाहिये। हमारे यहां रक्षा कार्यों पर जो राशि खर्च होती है अथवा पट्रोल आदि की चोर बाजारी होती है उसे रोकने के लिये कदम उठाने चाहिये तथा इस खर्च में कुछ कमी होनी चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि सेना के तीनों विंगों को मिला देना चाहिये इससे 20 प्रतिशत व्यय की कमी होगी।

Shri Ram Lal Rahi (Misrikh) : Sir, I rise to support the Finance Bill. It is matter of great satisfaction that the Government have made increased provision for rural development, small scale industries, irrigation and uplift of Harijans.

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए
SHRI DHIRENDRA NATH BASU *in the Chair*]

But I would like to draw the attention of the House to the fact that all the development schemes or programmes envisaged by the Government for the rural areas can not be enforced with the existing machimy. I would like to suggest that the village level workers should be asked to perform their duties honestly. They should be asked to live in villages and the whole machinry at village level should be rationalised. I also suggest that the village level workers should be imported multi purpose training so that they may be held responsible for all the matters connected with rural development.

I would also like to point out that during last 25 years or so these Government employees have never helped the small farmers in the rural areas. Actually they guided only the big farmers as a result of which only big farmers have been able to increase their production. Small farmers could not increase their production in the country. I suggest that Government should attend to the needs of the small farmers.

I also suggest that the distribution system of essential commodities should be improved so that poor people may get these commodities at fair prices. It is not done, all the provisions made in the budget would prove useless. It has been observed that officers get more and more facilities but the labourers are denied even housing, medical and drinking water facilities. This attitude should be changed.

I appreciate the step taken during Emergency regarding Central on beggary. Now the number of beggars is increasing day by day. I suggest that beggars should be provided some kind of jobs and residential accommodation to end this social evil.

I belong to Sitapur in Uttar Pradesh. This region in very backward. Bonded labour is increasing there and minimum wages fixed by the Government are not being paid to poor labourers. Government should take immediate steps to curb all these evils in the rural areas.

As I have said earlier employees of co-operative association have made bogus entries of loans against innocent persons causing serious injustice to poor people in rurly areas. Government must take appropriate steps to check this corrupt practice.

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera) : Sir, during the last 30 years former Government did not paid any attention to the grievances of rural population. But it is matter of great satisfaction that the present Government have allocated no per cent of total budget allocation for the rural development programmes. But only by making increased provision in the bugdet problems faced by the rural population will not be solved. Government will have to see that this money is spent properly through time bound programmes. Government will also have to provide irrigation and transport facilities in the rural areas to ensure proper development.

I would like to draw the attention of the House to the backwardness of the State of Bihar. It is a fact that Central Government get heavy amount of revenue from the State of Bihar in the form of Excise duty on coal, mica and tobacco. But the State of Bihar is the most backward state and central Government did not take any step to solve the problems of irrigation and transport in that state. Four-five Blocks of my constituency always remain submerged in water. I request that Central Government should allocate more funds for the development of Bihar in view of the declared policy of the Government to the effect that more funds will be allocated for the backward areas.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में तथा भूतपूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत बजटों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जनता सरकार ने दावा किया था कि घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं होगी। 1977-78 के बजट में 82 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था जबकि वास्तविक घाटा 975 करोड़ रुपयों का रहा था।

इस बजट में पहले सभी वर्षों से अधिक अतिरिक्त कर लगाये गये हैं अर्थात् 595 करोड़ रुपये के। उत्पादन शुल्क ही इतना अधिक है कि उससे आम आदमी की खाल उधेड़ी जा सकती है। श्री पटेल जैसे व्यक्ति को जिन्होंने कभी आम आदमी की समास्याओं को देखा ही नहीं आम आदमी की कठिनाइयों का पता ही क्या है। हम इस सरकार की तथा श्री पटेल की वर्ग नीति को जानते हैं। वह प्रत्यक्ष कर इसलिये नहीं लगा सकते क्योंकि इससे वह वर्ग नाराज हो जायेगा जिसके वह हैं। वह धनी वर्ग को नाराज कर ही नहीं सकते।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण धनी वर्ग की परिसम्पत्ति का मूल्य 87,131.6 करोड़ रुपये है जबकि छटी योजना के मसौदे के अनुसार 20 प्रतिशत परिवारों के पास, जिनकी परिसम्पत्ति का मूल्य 1,000 रुपये से कम है, कुल परिसम्पत्ति की 1 प्रतिशत परिसम्पत्ति भी नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में परिसम्पत्ति का विवरण कितना विषयम है। ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है। 1961 में 206.6 लाख ग्रामीण निर्धन व्यक्ति थे जिनकी संख्या 1971 में बढ़कर 270.8 लाख हो गई थी।

गैर कृषि क्षेत्र के करदाताओं की भी कर देने की क्षमता समाप्त हो गई है। शहर के सम्पन्न लोगों के उच्च रहन सहन के स्तर को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कर की दरों में वृद्धि करके और दी जाने वाली छूटों को समाप्त करके अतिरिक्त कराधान की गुंजाइश है।

कैडबरी इण्डिया लि० के अध्यक्ष ने 1 जनवरी, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 1,41,445 रु० पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किये और 200 प्रतिशत वेतनेतर लाभ प्राप्त किये। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने उसी अवधि में 2,10,460 रु० पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किये और 200 प्रतिशत वेतनेतर लाभ प्राप्त किये। यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि० के श्री पी० सी० बनर्जी की लगभग यही स्थिति है। उन्हें वेतन के अलावा कम्पनी की ओर से भविष्य निधि में अंशदान, पेंशन निधि में अंशदान, स्वयं और परिवार के लिए, चिकित्सा सुविधायें, उपदान, छुट्टी, सेवाओं सहित सुसज्जित आवास, निशुल्क कार और निःशुल्क आवासीय टेलीफोन प्राप्त है। कम्पनियों के उच्च अधिकारी चालीस से पचास हजार

रु० प्रति माह खर्च करते हैं, जबकि इस देश की प्रति व्यक्ति आय आजादी के 30 वर्ष बाद भी विश्व में निम्नतम से उपर है। कोलगेट पामऑलिव (इण्डिया) प्राइवेट लि०, ब्रुक बांड इण्डिया लि० की भी लगभग यही स्थिति है। यह किस प्रकार की अर्थ व्यवस्था है? आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में क्या वचन दिया था?

नये महाराजा और नये नवाब पैदा हो रहे हैं। उन्हें सत्ताधारी लोग संरक्षण दे रहे हैं। मैं महेन्द्र एण्ड महेन्द्र के बारे में पूरी सूची मेरे पास हैं, उसके कुछ अधिकारियों का पारिश्रमिक इस प्रकार है :—

श्री जी० श्रीनिवासन	97,322 रु०
श्री पी० एस० महेन्द्र	1,02,254 रु०
श्री बी० एम० चोपड़ा	1,06,138 रु०
श्री आई० चटर्जी	1,81,359 रु०
श्री पी० जी० दस्तूर	1,15,546 रु०
श्री हरीश महेन्द्र	2,03,227 रु०
श्री केशव महेन्द्र	1,73,558 रु०

1961-62 में केन्द्रीय सरकार का कर राजस्व 1053.73 करोड़ रु० था, जो वर्ष 1977-78 में बढ़कर 9005.49 करोड़ रु० हो गया। वर्ष 1961-62 में अप्रत्यक्ष कर 1053.73 करोड़ में से 712.97 करोड़ रु० के थे जबकि 1977-78 में 9005.49 करोड़ रुपये में से अप्रत्यक्ष कर की राशि 6473.22 करोड़ रु० बैठती है जो 71.88 प्रतिशत है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 (1) के अधीन छूट देने के कारण वर्ष 1971-72 में 244.84 करोड़ रु० के राजस्व की हानि हुई, जबकि वर्ष 1975-76 में 446.70 करोड़ रु० के राजस्व की छूट दी गई। जब मैं लोक लेखा समिति का सभापति था और श्री पटेल उसके सदस्य थे, उस समय उन्हें याद होगा कि दो ऐसे मामलों का पता चला था, जिनमें 234 करोड़ रु० की सीमा शुल्क से छूट दी गई थी। इसके बारे में अब तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। यह छूट देने के लिए श्रीमति इन्दिरा गांधी ने 3 करोड़ रु० की राशि प्राप्त की थी।

सरकार की मिली भगत से उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। 4 अप्रैल, 1975 को कैडबरी को अपनी पूंजी पर 113 प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ था, और 1 जनवरी, 1977 को उन्हें अपनी पूंजी पर 320 प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। फाइजर ने 2 लाख रु० की अपनी प्रदत्त पूंजी से केवल एक वर्ष 1976 में 2.65 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। हिन्दुस्तान लीवर और ग्लैक्सो ने भारी धन राशियां विदेशों में भेजी हैं।

हिन्दुस्तान लीवर ने सबसे अधिक मात्रा में राशी विदेश भेजी है। जब देश में सबसे अधिक बेरोजगारी की समस्या है, उस समय उनके कर्मचारियों की संख्या 9300 से घटकर 7610 रह गई है। उनके लाभ की राशि में वृद्धि हुई है।

भारतीय कम्पनियों के पास फालतू उत्पादन क्षमता है, उसका उपयोग नहीं हो रहा और विदेशी कम्पनियां लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं। इन कम्पनियों में मैं० बुरोस वैल्कम, मै० मे एण्ड बेकर, मै० रोश प्राडक्ट्स लि०, मै० फाइजर लि०, मैं० वाइथ लैबस लि०, मै० साइनामाइड लैब्स, मै० सीबा गोगी लि०, मै० बेयर (इण्डिया) लि०, मै० सीर्ले (आई) लि०, मै० मेरोक शार्प एण्ड डोहमे (आई) लि० और मै० हैकस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० शामिल हैं।

बड़े भारतीय व्यापार गृहों का भी तेजी से विकास हुआ है। 1972 में उनकी कुल आस्तियां 4223.82 करोड़ रु० थी कुल उत्पादन का मूल्य 4770.40 करोड़ रु० था और कुल लाभ 297.91 करोड़ रुपये था। 1975 में आस्तियां बढ़कर 6204.53 करोड़ रु० मूल्य की हो गई और कुल उत्पादन का मूल्य बढ़कर 7900 करोड़ रुपये हो गया और कुल लाभ बढ़कर 575 करोड़ रुपये हो गया। यह है आपका समाजवाद।

जनता पार्टी ने एकाधिकार के प्रसार को रोकने का वायदा किया था। बिड़ला, जे० के०, थापर और टाटा बन्धुओं को कई करोड़ रु० मूल्य के नये लाइसेन्स दिये गये हैं। कैडबरी को हिमाचल प्रदेश में "एप्पल जूस" का कारखाना लगाने की अनुमति दी गई। नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक से सरकार करों के रूप में 15–20 करोड़ रु० आसानी से वसूल कर सकती है। पता नहीं उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार क्यों हिचकिचा रही है।

जनता पार्टी कृषकों का समर्थन करने का दावां करती है। एक साल में सरकार ने क्या किया है? गन्ना 3 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जा रहा है। तम्बाकू 20 रु० प्रति क्विंटल की दर पर बेची गई है।

कृषि मन्त्री ने खाद्य उत्पादन के बारे में बड़े बड़े दावे किये हैं। चावल, मोटे अनाज, दालों और तिलहनों के उत्पादन को देखें, तो स्थिति शोचनीय दिखाई देती है। दालों की कीमत आसमान को छू रही है। क्या यही है हरित क्रान्ति?

सिगरेट निर्माता कम्पनियों को यकायक 50 से 60 करोड़ रु० का मुनाफा हो गया है, क्योंकि तम्बाकू 18 रु० प्रति क्विंटल की दर से बेची गई है और सिगरेट की कीमत भी नहीं बढ़ानी पड़ी। यह धन राशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं को प्राप्त होनी चाहिए थी।

आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय तथा कृषि मूल्य समिति के आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि जूट के मामले में बड़े मिल मालिकों को भारी लाभ पहुंचाया जाता रहा है। जूट उत्पादकों ने 100 रु० प्रति क्विंटल उत्पादन लागत बताई और एक अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा उत्पाद शुल्क लगाने के बाद कीमत 334 रु० प्रति क्विंटल बनी और इस प्रकार 200 रु० प्रति क्विंटल की धोखाधड़ी की जाती थी। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की उच्च वैज्ञानिकों द्वारा जांच की जाय और गजेन्द्र गड़कर की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाय।

हल्दिया में एक शिपयार्ड बनाया जाय और उड़ीसा में भी शिपयार्ड बनाया जाय। बावेजा समिति ने फरवरी, 1973 में इस बारे में सिफारिश की थी।

बावेजा समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति मेरे पास है और मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं। मैंने अध्यक्ष महोदय को इस बारे में सूचना दे दी थी।

सभापति महोदय : आपके दस्तावेज की अध्यक्ष महोदय जांच करेंगे और अध्यक्ष महोदय ही इस बारे में निर्णय करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आम नियम 369 को पढ़िए। सभा पटल पर रखा जाने वाला दस्तावेज सदस्य द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए। वह मैंने कर दिया है।

सभापति महोदय : आप निर्देश 118 के उप-खण्ड (1) को देखिए। सदस्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही उपयुक्त समय पर दस्तावेज सभा पटल पर रख सकता है।

Shri Rajendra Kumar Sharma (Rampur) : Sir, I rise to support the Finance Bill moved by the hon'ble Finance Minister.

We have inherited the serious problems created by previous Government during the last 30 years. At present there are 8 crores of people who are unemployed, and ten crores of people who are under-employed. How could there be proper law and order situation in the country when so many persons are unemployed.

The Finance Minister has not taken any concrete step to check the growth of black money. The Congress Government ruled the country with the help of black money. It was disclosed yesterday in the House that a huge sum of Rs. 30 lakhs was recovered from one person in Bangalore. There are billions of rupees with the members of Indira Congress, which should be recovered by raids or special vigilance. Indira Congress is creating unrest in the country with the help of black money which is in its possession. The Finance Minister has not put forward any scheme for recovering the black money from people of the country. The persons who declare their black money should be given concession.

Housing problem is a huge problem. The persons who invest their money in houses, should also be given concession.

The Finance Minister has not made any provision for economy in budget expenditure. The Government offices and officers are misusing the money. If concrete steps are not taken to check such a misuse, our schemes can not be implemented successfully. The Industry Minister has said that during the Indira regime a sum of six crores of rupees was sanctioned for Loktak Hydro electric Project, Manipur, Imphal, but now the cost has gone up to 80 crores of rupees. All such affairs should be enquired into systematically.

Today there is a serious problem of poverty and richness. Many Members of this House demand that there should be reservation for backward classes and more facilities should be provided to Harijans. The main reason for such a demand is unemployment and poverty. The per capita income for the whole country was Rs. 376 in 1976, but on the other hand there are persons who have vast industrial complex. This wide gap between the rich and the poor is the main reason of all the problems. The hon'ble Finance Minister should take steps to bridge this gap. The growth of black money should also be checked.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच अन्तर बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है।

वर्ष 1975-76 में राज्यों के पास 75 करोड़ रु० अतिरिक्त राजस्व था, वर्ष 1976-77 में राज्यों को 41 करोड़ रु० की हानि हुई थी और वर्ष 1977-78 में राज्यों का घाटा बढ़कर 325 करोड़ रु० हो गया है । विकास और प्रगति सम्बन्धी गतिविधियां ठप्प हो चुकी हैं । अनधिकृत ओवरड्राफ्टों के बारे में रिजर्व बैंक ने चिन्ता व्यक्त की है। गैर सरकारी और सरकारी बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से धन के वितरण के बारे में नियन्त्रण करने सम्बन्धी सुझावों पर मंत्रालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

बैंक ऑफ राजस्थान का उदाहरण मैं देना चाहूंगा । इस बैंक पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का कोई नियन्त्रण नहीं है। ये प्राइवेट बैंक चोर बाजारियां, जमाखोरों की जरूरतों को पूरा करते हैं । सरकार अब इन बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। सरकार को इन पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के पूर्व-वृत्त की जांच करनी चाहिए । एक श्री अग्रवाल की पाया के दौरान जयपुर में फव्वारे का निर्माण करने के लिए राजस्थान बैंक, जयपुर ने 50,000 रु० दान में दिए । रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की राजस्थान यात्रा पर खर्च किये जाने के लिए इस बैंक ने 11000 रु० की धनराशि दी। कलकत्ता में बैंक की शाखा खोलने पर इस बैंक ने 2,50,000 रु० की राशि खर्च की थी । मैं इस प्रकार के अनेक उदाहरण दे सकता हूं ।

सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में कोई भी बैंक समाज के कमजोर वर्ग के लिए ऋण नहीं दे रही है। अगर ऋण दिया भी जाता है, तो उस पर भारी मात्रा में ब्याज वसूल किया जाता है।

मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय न केवल इस बारे में जांच आयोग ही नियुक्त करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि वित्तीय संस्थायें समाज के कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करें और उन पर भारी मात्रा में ब्याज वसूल न किया जाय। विभिन्न राज्यों के बीच धन के वितरण में असंगति को दूर किया जाय।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : जब आपका नाम पुकारा गया, तब आप उपस्थित नहीं थे।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मैं केवल चार मिनट चाहता हूं। मैं अन्ना द्रमुक का सदस्य हूं जिसमें 19 सदस्य हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सूची के अनुसार नाम पुकार रहा हूं। अध्यक्ष महोदय के समय बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी है।

Shri Balbir Singh (Hoshiarpur) : Kindly extend the time by two hours. You can take the approval of the House (*Interruptions*)

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : The report of the Business Advisory Committee has been adopted by the House. Now Government is not in favour of extending the time.

Shri Balbir Singh : There are precedents when the time has been extended. It can be done in this case also.

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति नहीं दी है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : You can convey our opinion to the Speaker.

Shri Balbir Singh : The hon'ble Members have come to-day inspite of holiday and if they request you can extend the time by two hours.

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने समय बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि इस विधेयक को आज ही पास किया जाना है और इसका समय 5 बजे तक का है। कार्य मंत्रणा समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करके समय निर्धारित किया था और सभा ने उसकी स्वीकृति दे दी है। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि विधेयक पर विचार करने और पास करने का समय 15 घन्टे होगा । अतः मैं सरकार की ओर से कहना चाहता हुं कि कुल समय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता अन्यथा अन्य कार्यवाही में गड़बड़ होगी। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि वे कार्यवाही को समयानुसार पूरा होने दें। तीनों अवस्थाओं के लिए कुल समय सीमा को आधे घण्टे से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : (इदक्की) हम इस विधेयक पर खण्डवार चर्चा चाहते हैं और उसके लिये हमें पूरा समय दिया जाना चाहिये विरोधी पक्ष के सदस्यों ने समय सीमा का ध्यान रखा है जबकि जनता पार्टी के सदस्यों ने अधिक समय लिया है। अब यदि समय बढ़ाया जाता है तो वह विरोधी पक्ष के सदस्यों को मिलना चाहिए ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : 9 मार्च, 1978 को जारी किये गये बुलेटिन में वित्त विधेयक, 1978 के लिये 27,28,29 अप्रैल अर्थात् तीन दिन निर्धारित किये गये हैं। परन्तु कल विनियोग विधेयक पर चर्चा की जाती रही है और उसमें पता नहीं कितना समय लग गया। अब यदि सभा समय बढ़ाने के पक्ष में है तो ऐसा किया जा सकता है।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने विनियोग विधेयक पर चर्चा के बाद वित्त विधेयक के लिये समय की घोषणा की थी । उस समय सभा इन बातों से अनभिज्ञ नहीं थी जिन्हें अब उठाया जा रहा है। सभी माननीय सदस्यों को समय सीमा के अन्दर अपनी बात कह देनी चाहिये। अब केवल एक पार्टी का समय बचा है और उसके सदस्य को दो मिनट का समय देता हूं। उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे और फिर हम खण्डवार चर्चा आरम्भ करेंगे । **(व्यवधान)**

श्री रवीन्द्र वर्मा : ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ माननीय सदस्य नियम 219 (2) की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार सांय 5 बजे हमको मतदान के लिये रखना होगा ।

सभापति महोदय : यह बिल्कुल ठीक है ।

श्री सी० एन० विश्वनाथन: (तिरुपत्तूर) : वित्त विधेयक में प्रस्तावित बिजली पर 2 पैसे प्रति किलोवाट उत्पादन शुल्क लगाये जाने का मुख्यत: लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप औसतन 2.5 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि होगी । इसकी वसूली मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्र से की जायेगी । इसका लघु क्षेत्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा । अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि बिजली पर प्रस्तावित शुल्क न लगाया जाये।

वित्त मंत्री को गंगा-कावेरी नहर योजना पर भी विचार करना चाहिये । यदि यह सरकार राष्ट्रीय अखण्डता एवं एकता चाहती है तो उन्हें गंगा–कावेरी नहर योजना को तुरन्त लागू करना चाहिये जिसकी लागत 1000 करोड़ या 2000 करोड़ रुपये होगी । दक्षिण में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और किसानों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। लागत अधिक हो सकती है परन्तु वित्त मंत्री विदेशी सहयोग से उक्त योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं ।

कोरोमंडल तटवर्ती लाइन के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है । यह लाइन विशाखापत्तनम और कन्या कुमारी को मिलायेगी जिससे औद्योगिक राजपथों का विकास होगा निर्यात और वाणिज्यिक वस्तुओं के परिवहन की सम्भावनाओं में वृद्धि होगी । इसपर वित्त मंत्री को विचार करना चाहिये ।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि तस्करी और हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति खराब करने वाली अन्य बुराइयों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : वित्त विधेयक पर तीन दिन की और बजट पर आठ सप्ताह की चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए विभिन्न सुझावों से मैं लाभान्वित हुआ हूं। मुझे उपयुक्त संशोधन करने और यथाशक्य पर्याप्त राहत की व्यवस्था करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन का वित्त विधेयक पर दिया गया भाषण संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप है। माननीय सदस्य ने कहा है कि गत वर्ष का लेखा नहीं बताया गया और इसलिये पुनरीक्षित प्राक्कलनों और वास्तविक आंकड़ों में किसी प्रकार के अन्तर का पता लगाना कठिन हो गया है परन्तु यदि वह 28 फरवरी, 1978 को संसद् में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण पर ध्यान देते तो उनको वर्ष 1976–77 के लेखे के आंकड़े मिल जाते। फिर चालू वर्ष के लिये अनुदानों की ब्योरेवार मांगों में भी, जो सभा-पटल पर रखी गई हैं, वर्ष 1976–77 के खर्च संबंधी आंकड़ों का ब्योरा दिया गया है। ये आंकड़े अस्थाई हैं क्योंकि बजट तैयार करते समय मार्च 1977 की समाप्त होने वाले वर्ष के अन्तिम लेखे उपलब्ध नहीं थे । अन्तिम आंकड़े बजट प्रस्तुत करने के 5 या 6 महीने बाद मिलते हैं।

जहां तक मितव्ययिता का संबंध है, नय पद बनाने, यात्रा, दोनों देशीय व अन्तर्देशीय पर व्यय और समयोपरि भत्ते पर होने वाले व्यय में कमी करने संबंधी अनुदेशों को पूरी निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। राजसहायता को भी कम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के निगमों के प्रवर्तन में भी सुधार करने हेतु विशेष उपाय किये गये हैं ताकि उनसे अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

श्री वेंकटरामन ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक घाटे संबंधी मेरी घोषणा की बहुत आलोचना की है। मैंने आंकड़ों की हेरा फेरी करके घाटे को छिपाया नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि देश की अर्थव्यवस्था में भारी पूंजीनिवेश की आवश्यकता है और इसके लिये यथा संभव अतिरिक्त कर लगा कर संसाधन जुटाने के सिवाए मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मेरे विचार में माननीय सदस्य घाटा कम दिखाने के लिय करों में वृद्धि करना, योजना व्यय में कटौती करना और कृषि, सिंचाई, विद्युत और ग्राम विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूंजी निवेश को कम करने आदि को पसन्द न करते। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुंजीनिवेश ऐसे क्षेत्रों में किया जाए जो लाभप्रद और रचनात्मक हो जिससे अपरिहार्य घाटे की अर्थव्यवस्था का परिणाम यह न हो कि अर्थव्यवस्था पर हमारा नियंत्रण ढीला पड़ जाए और मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाय। मैंने सभा को आश्वासन दिया है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जायगी। हमारे पास विदेशी मुद्रा का भण्डार भी है और अनाज का रक्षित भंडार भी जिनसे घाटे के बावजूद हम मूल्यों को स्थिर रख सकेंगे।

मूल्य वृद्धि की भी बहुत आलोचना की गई है। मूल्यवृद्धि के मापदंड दो हैं :— थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हमें इस बात का गर्व है कि जब हमने बजट प्रस्तुत किया था उस समय वही मूल्य थे जो जनता सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व शासन की बागडोर संभालने के समय थे। किसी प्रकार की कोई मुद्रास्फीति नहीं हुई। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे विश्व भर ने स्वीकार किया है। बजट के बाद थोक मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वे स्थिर रहे हैं। अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1977 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 330 पर स्थिर रहा है, जनवरी 1978 में वह 325 और फरवरी, 1978 में और घटकर 320 हो गया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहां कहीं या किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है उसका कारण स्थानीय परिस्थितियां या वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है परन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि उससे हमारे देश में मूल्य स्तर के सामान्य रुख का पता चलता है।

इस बात में संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या हम गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष विदेशी मुद्रा आरक्षण का अधिक उपयोग कर सकेंगे या नहीं। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि हम घाटे की अर्थव्यवस्था के बावजूद मूल्यों के संतुलन में किसी गड़बड़ के बिना और किसी प्रकार की मुद्रास्फीति के बिना अर्थव्यवस्था की स्थिति को स्थिर बनाए रख सके हैं। आरक्षित विदेशी मुद्रा का उपयोग इतनी सरल बात नहीं है। इसके लिय आयात उदार बनाने के लिये मूल नीति में परिवर्तन करना पड़ता है और देश में पूंजीनिवेश बढ़ाना आवश्यक हो जायगा सरकार ने आयात को उदार बनाने के लिये दूरगामी कदम उठाए हैं। मैंने अपने बजट भाषण में इसी उद्देश्य से सीमा शुल्क में कमी संबंधी भारी हिदायत दी है।

फिर भी विदेशी मुद्रा आरक्षण का उपयोग तब तक संभव नहीं जब तक सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में तेजी से पूजीनिवेश नहीं किया जाता। इस बजट के माध्यम से मैंने यही प्रयत्न किया है। इस बात की बहुत चर्चा की गई है कि विदेशी मुद्रा आरक्षण बहुत बढ़ता जा रहा है और सरकार इसका उपयोग नहीं कर रही है। हम पहली बार विदेशी मुद्रा भण्डार को सशक्त बना पाए हैं। ये भंडार 8–9 महीने के आयात के मूल्य के बराबर होंगे। अतः हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि विदेशी मुद्रा का अथाह भंडार है। वे उचित मात्रा में हैं और भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना का सामना कर सकने में सहायक होंगे। हम इस भंडार का उपयोग लाभप्रद ढंग से करना चाहेंगे।

सरकार द्वारा सोना बेचे जाने की भी आलोचना की गई है और यह आरोप लगाया गया है कि इससे सोने का रक्षित भंडार समाप्त हो जायगा। यह भी कहा गया है कि युद्ध के समय सोना एक बहुत महत्वपूर्ण मद समझा जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, हमने किसी भी युद्ध में सोने का उपयोग नहीं किया है। सोना बेचने में सरकार का आशय सोने की तस्करी को रोकना है। सोने की तस्करी का हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत घातक प्रभाव पड़ा है और इस से कानून तोड़ने वालों, चोरबाजारी करने वालों और विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों को प्रोत्साहन मिला है। मुझे विश्वास है कि हम सोने की तस्करी की बुराई को हमेशा के लिय समाप्त कर सकेंगे ।

श्री टी० ए० पाई ने योजना की क्रियान्विति की गति धीमी बताई है और इसके कारण पूछे हैं। वह स्वयं मंत्री रहे हैं और गत तीन दशकों से यही गति चल रही है और यह हमें विरासत में मिली है और हम इसके सुधार करने के लिये कटिबद्ध हैं। श्री पाई ने राज सहायता निगम बनाने का सुझाव दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में राजसहायता का विचार किसकी देन है। हमने देखा है कि अनाज, उर्वरक और निर्यात पर राजसहायता दी जा रही है। फिर कृत्रिम मूल्य स्थिर बनी हुई थी जैसे दिल्ली में दूध का मूल्य बहुत कम है और परिवहन शुल्क भी बहुत कम है। इस प्रकार की कृत्रिम स्थिति को संसद सदस्यों के सामने समुचित ढंग से नहीं रखा गया। अब सरकार इन सब बातों पर भली भांति विचार करेगी और यदि इनको जारी रखना है तो हम सभा के सामने स्पष्ट रूप से रखेंगे कि अमुक क्षेत्रों में राजसहायता अपेक्षित है।

श्री पाई ने घाटे की अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख किया है। मैंने पहली बार यह काम नहीं किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि घाट की अर्थव्यवस्था न अच्छी है न खराब है। वे विकास के लिये पूंजीनिवेश बढ़ाने का साध मात्र है और जब तक यह सरकार इस साधन को बुद्धिमत्ता से उपयोग करती रहेगी तब तक मुद्रास्फीति संबंधी शक्तियां नियंत्रणाधीन रहेंगी।

झा समिति की सिफारिशें बहुत दूरगामी हैं और इनमें से कुछ पुसुझाव निश्चय ही सिद्धान्त रूप में हमें स्वीकार्य हैं परन्तु उनकी क्रियान्वित करने में निश्चय ही समय लगेगा। उसके लिये उत्पादन शुल्क व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने होंगे। हम उत्पादन-शुल्क संबंधी विधि के ढांचे पर इन ब्योरेवार सिफारिशों के प्रभाव पर विचार कर रहे हैं। मुझ आशा है कि धीरे धीरे समति के बहुत से सुझावों को क्रियान्वित कर दिया जाएगा।

यह कहना गलत है कि उत्पादन शुल्क में राहत देते हुए लघु उद्योग की उपेक्षा की गई है। मेरे बजट का मुख्य झुकाव लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना है। हमने लघु एककों पर उत्पादन शुल्क या बोझ कम किया है और प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है जिससे लघु एककों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

श्री पाई ने विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निरोधक अधिनियम का राजनीतिक उद्देश्यों से दुरुपयोग किये जाने के बारे में आशंका व्यक्त की है। पिछली सरकार के 'आंसुका' और उपरोक्त अधिनियम का आपात स्थिति के समय राजनीतिक उद्देश्यों से दुरुपयोग किया था। उनकी शंका निर्मूल नहीं है क्योंकि ऐसा हमारे देश में पहले हो चुका है परन्तु जनता सरकार से उन्हें ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमने सब प्रकार की आजादी को बहाल किया है। परन्तु हम अपराधियों को कानून के खिलाफ कोई भी अनुचित कार्रवाई करने की ढील नहीं दे रहे हैं और इसके लिये उन्हें अवश्य दंड दिया जाएगा। उपरोक्त अधिनियम का उपयोग तस्करों और समाज विरोधी तत्वों के साथ निपटने के लिये किया जाएगा। हमने कुछ ऐसे उपबन्ध किये हैं जिनसे इस अधिनियम का दुरुपयोग न किया जा सके। इस समय 160 व्यक्ति विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत बन्द हैं और सलाहकार बोर्ड ने 101 मामलों में उनको बन्द रखने की पुष्टि कर दी है और शेष मामले उनके विचाराधीन हैं।

बिजली और कोयले पर शुल्क लगाये जाने की आलोचना की गई है। बिजली पर शुल्क लगाने के संबंध में कहा गया है कि क्या कानूनी दृष्टि से इस प्रकार का शुल्क लगाना वैध है और दूसरे इससे बिजली की लागत में वृद्धि हो जायगी। मैं केवल यह कर सकता हूं कि हमने कानूनी राय लेकर ही ये शुल्क लगाए हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची एक की प्रविष्टि सं० 84 के अन्तर्गत केन्द्र को ये शक्तियां दी गई हैं। जहां तक राज्यों का संबंध है वे बिजली की खपत या बिजली बिक्री पर शुल्क लगाने के लिये सक्षम हैं। राज्य बिजली बोर्डों को हो रहे घाटे का भी उल्लेख किया गया है। इसके दो कारण हैं पहला—कार्यकुशलता स्तर पर्याप्त नहीं है और दूसरे उपयोग क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है और कुल मिलकर राज्य बिजली बोर्ड के कार्यकरण में काफी परिवर्तन किये जाने चाहिए। इससे बिजली की लागत कम होगी घाटे में भी कमी होगी। फिर उत्पादन लागत को देखते हुए इसका मूल्य बहुत कम है। यदि हम कृत्रिम राजसहायता नहीं देना चाहते तो बिजली के लिये वास्तविक मूल्य लेना होगा। मैंने सभा को पहले बता दिया है कि बिजली में पूंजीनिवेश को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिए 2000 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। अतः यह स्वाभाविक है कि इससे लाभ प्राप्त करने वाले लोग भी इसमें योगदान दें। इसी विचार से बिजली पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है। कृषि के काम में लाये जाने वाली बिजली के लिये रियायतें दी गई हैं और मैंने आश्वासन दिया है कि मैं बिजली से चलने वाले उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करूंगा। ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि न हो।

श्रम प्रधान उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया है। परन्तु श्रम प्रधान उपायों को प्रोत्साहन देना और पूंजी प्रधान योजनाओं को हतोत्साहित करना केवल कर नीति का प्रश्न नहीं है। केवल पूंजी निवेश नीति से इस अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया

जा सकता है। अपने बजट में मैंने कृषि, सिंचाई, ग्राम विकास, देहातों में पानी की सप्लाई, सड़कों के निर्माण के लिये काफी धनराशि की व्यवस्था की है। इनमें पूंजी निवेश में से केवल ग्रामीण क्षेत्र ही समृद्ध नहीं होंगे बल्कि इनसे रोजगारोन्मुख योजनाओं का वित्त पोषण भी होगा।

लघु उद्योग और कृषि क्षेत्र के लिये ऋण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की है और उन्हें इस जिम्मेदारी को कुशलता से निभाना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि बजट में व्यवस्था करने मात्र से काम नहीं चलता बल्कि योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिय एक अच्छे प्रशासन की आवश्यकता है, प्रशासन में विलम्ब, सुस्ती, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना चाहिए। परन्तु इसमें समय लगेगा।

यह आलोचना की गई है कि यह बजट जनता बजट न होकर समाज के विशेष वर्ग और निहित स्वार्थों के हित में है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि जनता बजट से उनका तात्पर्य क्या है। लघु उद्योगों विशेषतः होजरी उद्योग का विशेष उल्लेख किया गया है। इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। कुओं के निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, लघु सिंचाई योजनाओं के विकास के व्यावहारिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

योजनाओं को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने और सरकार के प्रशासन में सुधार की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि हमें अपनी कार्य-कुशलता में सुधार करना होगा और जनता से किये गये वायदों को कार्यरूप देना होगा।

यदि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो राजनीतिक नेताओं, संसद सदस्यों, असैनिक कर्मचारियों, तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्तियों और निम्न स्तर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों सबको मिलजुल कर इसके लिये समन्वित प्रयास करना होगा। वस्तुतः हमें अपनी पद्धति में सुधार करना होगा और लाल फीताशाही को खत्म करना होगा। सरकार इस कार्य में निरन्तर लगी हुई हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि देश में प्रशासन और प्रबंधकीय कुशलता के उच्च स्तर को कायम रखने के लिये हर संभव प्रयास करूंगा। मैं सदस्यों द्वारा दिये गये ठोस और रचनात्मक सुझावों को ध्यान में रखूंगा और आगामी वर्ष के लिए राष्ट्रीय-अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्ध में इनका उपयोग करूंगा।

मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावित संशोधनों के साथ वित्त विधेयक इस सदन द्वारा पारित किया जाएगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगें।

खंड 2

श्री विनोदभाई बी शेठ : (जामनगर) : मैं अपना संशोधन सं० 6 प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन का मुख्य प्रयोजन होटल उद्योग को औद्योगिक निर्माण संस्था के रूप में शामिल करना है। इसे औद्योगिक पूंजी निवेश रियायतें दी जानी चाहिएं।

श्री एच० एम० पटेल : होटल उद्योग को पहले ही बहुत रियायतें दी हुई हैं और मुनाफे की इतनी अधिक गुंजाइश को देखते हुए इस उद्योग को और कोई रियायत देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

अतः मैं माननीय सदस्य से अपना संशोधन वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री विनोदभाई बी० शेठ : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 6 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment No. 6 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

[**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
The motion was adopted.]

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

श्री आर० वेंकटारमन : (मद्रास दक्षिण) : मैं अपना संशोधन सं० 21 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7,—

Omit lines 4 to 7.

[पंक्ति 1 से 4 का लोप कर दिया जाए] (संख्या 98)

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : (कालीकट) : मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूं।

श्री आर० वेंकटारमन : आगामी कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की सेवा से लगभग तीन से चार हजार तक भारतीय राष्ट्रिक सेवा-निवृत्त होंगे और वे विभिन्न कारणों से विदेशों में रहेंगें। अतः उनके मामले पर विचार किया जाये।

श्री एच० एम० पटेल : मैं उनके इस मुद्द को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि वे भारत में नहीं आ सकते और बस सकते।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं :

संशोधन संख्या 21 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment No. 21 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 7,–

Omit lines 4 to 7
[पंक्ति 1 से 4 का लोप कर दिया जाए] (सं० 98)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सईद मुहम्मद का एक और संशोधन है ।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : खण्ड 3 में मैंने व्याख्या और परन्तुक के बारे में एक संशोधन दिया है। 'सेवा में प्रदान करना' इन शब्दों के स्थान पर 'आप प्राप्त करना' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे जिन लोगों ने अपना काम खोला हुआ है या जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। व्याख्या का परन्तुक केवल उन्हीं लोगों तक सीमित है जिनके नाम सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है।

श्री एच० एम० पटेल : इसके पीछे बुनियादी बात यह है कि बड़ी संख्या में जो लोग मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिये जा रहे हैं, वे वहां स्थायी रूप से बसने वाले नहीं हैं : अतः वे समय-समय पर देश में आते रहते हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि उन्हें भी यह सुविधा दी जाए। इसके लिये कोई कारण नहीं कि जिनकी अन्य स्त्रोतों से भी आय है उन्हे भी वही सुविधाएं दी जायें। अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 51 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment No. 51 was, by leave, withdarawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 3 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3, as amended, was added to the Bill.

"कि खंड 3 , संशोधित रुप में, विधेयक का अगं बनें।

खंड 4 और खंड 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

खंड 6

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पटेल अपने संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री **एच० एम० पटेल :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7 और 8,—

क्रमशः पंक्ति 38 से 40 और 1 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

AMENDMENT OF SECTION 35B

6. In section 35B of the Income-tax Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in the proviso to clause (a), after the words, figures and letters "after the 28th day of February, 1973", the words, figures and letters "but before the 1st day of April, 1978" shall be inserted;

(ii) in clause (b),—

(1) in sub-clause (i), the words, figures and letters "where such expenditure is incurred before the 1st day of April, 1978" shall be inserted at the end;

(2) in sub-clause (iii), the words, figures and letters "where such expenditure is incurred before the 1st day of April, 1978" shall be inserted at the end;

(b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :=

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no deduction under this section shall be allowed in relation to any expenditure incurred after the 31st day of March, 1978 unless the following condtions are fulfilled, namely :—

(a) the assessee referred to in that sub-section is engaged in—

(i) the business of export of goods and is either a small-scale exporter or a holder of an Export House Certificate; or

(ii) the business of provision of technical know-how, or the rendering of services in connection with the provision of technical know-how, to persons outside India; and

(b) the expenditure referred to in that sub-section is incurred by the assessee wholly and exclusively for the purposes of the business referred to in sub-clause (i) or, as the case may be, sub-clause (ii) of clause (a).

Explanation.—For the purposes of this sub-section,—

(a) "small-scale exporter" means a person who exports goods manufactured or produced inany small-scale industtrial undertaking or uudertakings owned by him;

Provided that such person does not own any industrial undertaking which is not a small-scale industriaW undertaking;

(b) "Export House Certificate" means a valid Export House Certificate issued by the Chief Controller of Imports and Exports, Government of India;

(c) "provision of technical know-how" has the meaning assigned to it in sub-section (2) of section 80 mm;

(d) "small-scale industrial undertaking" has the meaning assigned to it in clause (2) of the *Explanation* below sub-section (2) of the section 32A.".'

6--आय-कर अधिनियम की धारा 35-ख में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) खण्ड (क) के परन्तुक में "1973 की फरवरी के 28वें दिन के पश्चात्" "किन्तु शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, "किन्तु 1978 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व, शब्द और अंक अंतःस्थापित करें:--

(II) खण्ड (ख) में,--

(1) उपखण्ड (I) में "किन्तु ऐसा व्यय 1978 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व किया गया होना चाहिए" शब्द और अंक अंत में अन्तःस्थापित करें;

(2) उप खण्ड (III) में, "और जो ऐसा व्यय है जो 1978 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व किया गया है" शब्द और अंक अंत में अन्तःस्थापित करें;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित करें:--

"(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई कटौती 1978 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् उपगत किसी व्यय के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न कर दी जाएं:

(क) उस उपधारा में निर्दिष्ट निर्धारिती--

(I) माल के निर्यात के कारबार में लगा हुआ है और या तो लघु निर्यातकर्ता है या निर्यात प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र का धारक है; अथवा

(II) भारत से बाहर व्यक्तियों को तकनीकी व्यवहार ज्ञान उपलब्ध करने के कारबार में या तकनीकी व्यवहार ज्ञान उपलब्ध करने से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है;

(ख) उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यय निर्धारिती द्वारा खण्ड (क) के यथास्थिति उप-खण्ड (I) या उपखण्ड (II) में निर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिये पूर्णतः या अनन्यतः उपगत किया गया है।

स्पष्टीकरण :--इस उपधारा के प्रयोजनो के लिये,--

(क) "लघु निर्यातकर्ता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने स्वामित्वाधीन किसी लघु उद्योग उपक्रम या उपक्रमों में विनिर्मित या उत्पादित माल का निर्यातकर्ता है:

परन्तु ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामी नहीं है जो लघु उद्योग उपक्रम न हो;

(ख) "निर्यात प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र" से ऐसा विधिमान्य निर्यात प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो भारत सरकार के आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किया गया है;

(ग) "तकनीकी व्यवहार ज्ञान उपलब्ध करने" का वही अर्थ है जो धारा 80 (डड) की उपधारा (2) में है;

(घ) "लघु उद्योग उपक्रम" का वही अर्थ है जो धारा 32क की उपधारा (2) के नीचे दिये गये **स्पष्टीकरण** के खण्ड (2) में है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि: (संख्या 99)

पृष्ठ 7 और 8,—

क्रमश: पंक्ति 38 से 40 और 1 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

'Amendment of section 35B.

6. In section 35B of the Income-tax Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in the proviso to clause (a), after the words, figures and letters "after the 28th day of February, 1973", the words, figur es and letters "but before the 1st day of April, 1978" shall be inserted;

(ii) in clause (b),—

(1) in sub-clause (i), the words, figures and letters, "where such expenditure is incurred before the 1st day of April, 1978" shall be inserted at the end;

(2) in sub-clause (iii), the words, figures and letters", where such expenditure is incurred before the 1st day of April, 1978" shall be inserted at the end;

(b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no deduction under this section shall be allowed in relation to any expenditure incurred after the 31st day of March, 1978 unless the following conditions are fulfilled, namely :—

(a) the assessee referred to in that sub-section is engaged in—

(i) the business of export of goods and is either a small-scale exporter or a holder of an Export House Certificate; or

(ii) the business of provision of technical know-how, or the rendering of services in connection with the provision of technical know-how, to persons outside India; and

(b) the expenditure referred to in that sub-section is incurred by the assessee wholly and exclusively for the purposes of the business referred to in sub-clause (i) or, as the case may be, sub-clause (ii) of clause (a).

Explanation :—For the purposes of this sub-section,—

(a) "Small-scale exporter" means a person who exports goods manufactured or produced in any small-scale industrial undertaking or undertakings owned by him :

Provided that such person does not own any industrial undertaking which is not a small-scale industrial undertaking;

(b) "Export House Certificate" means a valid Export House Certificate issued by the Chief Controller of Imports and Exports, Government of India;

(c) "provision of technical know-how" has the meaning assigned to it in sub-section (2) of section 80MM;

(d) "small-scale industrial undertaking" has the meaning assigned to it in clause (2) of the *Explanation* below sub-section (2) of section 32A.".'

6. आय-कर अधिनियम की धारा 35 ख में, —

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खण्ड (क) के परन्तुक में "1973 की फरवरी के 28वें दिन के पश्चात्" शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, "किन्तु 1978 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व," शब्द और अंक अंतः स्थापित करें ;

(ii) खण्ड (ख) में, —

(1) उपखण्ड (i) में "किन्तु ऐसा व्यय 1978 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व किया गया होना चाहिये" शब्द और अंक अन्त में अन्तः स्थापित करें ;

(2) उप खण्ड (iii) में, "और जो ऐसा व्यय है जो 1978 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व किया गया है" शब्द और अंक अन्त में अन्तः स्थापित करें ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित करें :—

"(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई कटौती 1978 के मार्च के 31 वें दिन के पश्चात् उपगत किसी व्यय के सम्बन्ध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी ज ब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न कर दी जाए :—

(क) उस उपधारा में निर्दिष्ट निर्धारिती :—

(i) माल के निर्यात के कारबार में लगा हुआ है और या तो लघु निर्यातकर्ता है या निर्यात प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र का धारक है ; अथवा

(ii) भारत से बाहर व्यक्तियों को तकनीकी व्यवहार ज्ञान उपलब्ध करने के कारबार में या तकनीकी व्यवहार-ज्ञान उपलब्ध करने से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है ;

(ख) उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यय निर्धारिती द्वारा खण्ड (क) के यथास्थिति उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिये पूर्णतः या अनन्यतः उपगत किया गया है।

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, :—

(क) "लघु निर्यातकर्त्ता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने स्वामित्वाधीन किसी लघु उद्योग उपक्रम या उपक्रमों में विनिर्मित या उत्पादित माल का निर्यातकर्ता है :

परन्तु ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामी नहीं है जो लघु उद्योग उपक्रम न हो ;

(ख) "निर्यात प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र" से ऐसा विधिमान्य निर्यात प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो भारत सरकार के आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किया गया है ;

(ग) "तकनीकी व्यवहार-ज्ञान उपलब्ध करने" का वही अर्थ है जो धारा 80 (डड) की उपधारा (2) में हैं ;

(घ) "लघु उद्योग उपक्रम" का वही अर्थ है जो धारा 32 क की उपधारा (2) के नीचे दिये गये **स्पष्टीकरण** के खण्ड (2) में है।" (संख्या 99)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 7

खंड 6 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 6, as amended, was added to the Bill.

खंड 7

नरेन्द्र पी० नथवानी : (जूनागढ़) : मैं अपना संशोधन संख्या 82 प्रस्तुत करता हूं।

उपधारा (2) के अनुसार एक एसोसियेशन या संस्था का उद्देश्य ग्रामीण विकास होना चाहिए और दूसरे वह निर्धारित प्राधिकरण द्वारा मंजूरशुदा होनी चाहिए। परन्तु इन दो शर्तों के लागू करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपधारा (1) के अन्तर्गत आने के लिये यह आवश्यक है कि कोई निर्धारिती निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी संस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य से कुछ व्यय करें। उपधारा (2) को हटाने के पीछे आपत्ति यह है कि जब कोई एसोसियेशन यह राशि प्राप्त करना चाहती है तो उसे उपधारा (1) में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है।

श्री विनोदभाई बी० शेठ : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं :

धारा 35 ग ग क ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हित में पुरःस्थापित की गई थी। मैंने संशोधन द्वारा यह सुझाव

दिया है कि औद्योगिक गृह अपनी आय का कम से कम 25 प्रतिशत राशि उस क्षेत्र के लिये भी व्यय करे जहां वे स्थित हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं इन दोनों संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । इन शर्तों का उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में लगी सक्षम संस्थाओं को देने वाली कंपनियों को रियायत देना है।

माननीय सदस्य श्री शेठ का संशोधन अव्यवहार्य है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उद्देश्य की प्राप्ति प्रशासनिक तौर पर हो सकती है क्योंकि सरकार ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को स्वीकृति हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित कर सकती है।

श्री विनोदभाई बी० शेठ : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 82 और 7 सभा की अनुमति से, वापस लिये गये ।

The amendments Nos. 82 and 7 were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं अपने संशोधन संख्या 23, 24, 45 और 117 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 9, पंक्ति 7,—

"twenty thousand rupees"

(बीस हजार रुपये) **के स्थान पर**

"forty thousand rupees"

(चालीस हजार रुपये) **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(संख्या 100)

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 36 **के पश्चात्** निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(3B) Nothing containd in sub-section (3A) shall apply in relation to any expenditure incurred by an assessee on —

(i) advertisement in any small newspaper;

(ii) advertisement in any newspaper for recruitment of personnel;

(iii) the publication in any newspaper of any notice required to be published by or under any law;

(iv) the maintenance of any office for the purposes of advertisement, publicity or sales promotion;

(v) the payment of salary [as defined in clause (1) of section 17] to any employee engaged in advertisement, publicity or sales promotion;

(vi) the holding of, or the participation in, any press conference, sales conference, trade convention, trade fair or exhibition;

(vii) publication and distribution of journals. catalogues or price lists;

(viii) such other items as may be prescribed.

Explanation 1.—For the purposes of clause (i), an advertisement in a newspaper shall be deemed to be an advertisement in a small newspaper, if the average circulation of such newspaper in the year in which such advertisement has been published, is certified by the prescribed authority as not exceeding fifteen thousand copies.

Explanation 2.—"Average circulation", in relation to any newspaper, shall be taken to be the number arrived at by dividing the aggregate of the number of copies of such newspaper circulated during a year by the total number of days on which such newspaper was published in that year.

(3C) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing contained in sub-section (3A) shall apply in relation to expenditure in the nature of entertainment expenditure incurred by an assessee in connection with advertisement, publicity or sales promotion and such expenditure shall be governed by the provisions of sub-section (2A)."

[(3ख) उपधारा 3क की कोई बात, किसी निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित के संबंध में उपगत किसी व्यय को लागू नहीं होगी, अर्थात्—

(i) किसी लघु समाचार पत्र में विज्ञापन;

(ii) कार्मिकों की भर्ती के लिये किसी समाचारपत्र में विज्ञापन;

(iii) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रकाशित किये जाने के लिये अपेक्षित किसी सूचना का किसी समाचारपत्र में प्रकाशन;

(iv) विज्ञापन, प्रचार या विक्रय बढ़ाने के प्रयोजन के लिये कोई कार्यालय रखना;

(v) विज्ञापन, प्रचार या विक्रय बढ़ाने में लगे हुए किसी कर्मचारी को [धारा 17 के खण्ड (1) में परिभाषित] वेतन का संदाय;

(vi) कोई प्रेस सम्मेलन, विक्रय सम्मेलन, व्यापार सम्मेलन, व्यापार मेला या प्रदर्शनी लगाना या उसमें भाग लेना;

(vii) पत्रिकाओं, सूचीपत्रों या कीमत-सूचियों का प्रकाशन और वितरण;

(viii) ऐसी अन्य मदें जो विहित की जाएं।

स्पष्टीकरण 1 : यदि विहित प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उस वर्ष में जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, किसी समाचार-पत्र की औसत ग्राहक संख्या पन्द्रह हजार से अधिक नहीं है तो खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिये उस समाचार पत्र में कोई विज्ञापन लघु समाचार पत्र में विज्ञापन है।

स्पष्टीकरण 2 : किसी समाचार पत्र के संबंध में "औसत ग्राहक संख्या से वह संख्या समझी जाएगी जो उस वर्ष के दौरान ऐसे समाचारपत्र की परिचालित प्रतियों की संख्या के योग को उस वर्ष में उस समाचारपत्र में प्रकाशित किये जाने के दिनों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त हो।

(3ग) "शंकाओं को दूर करने के लिये, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3क) की कोई बात किसी निर्धारिती द्वारा विज्ञापन, प्रचार या विक्रय बढ़ाने के संबंध में उपगत सत्कार व्यय की प्रकृति के व्यय के संबंध में लागू नहीं होगी और ऐसा व्यय उपधारा (2क) के उपबन्धों से "शासित होगा"।';]

(संख्या 101)

श्री जी० एम० बनतवाला : इस विधेयक का खंड 8 विज्ञापन प्रचार और बिक्री संवर्धन के संबंध में लगाए जाने वाले कर के बारे में है। मेरे संशोधन का उद्देश्य है कि समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में किये जाने वाले प्रचार के ऊपर कर न लगाया जाए।

समाचार उद्योग की अर्थ व्यवस्था बहुत विलक्षण है। इस अर्थ व्यवस्था का विक्रय मूल्य हमेशा उत्पादक लागत से कम होता है। यह अन्तर बड़े छोटे सभी समाचार-पत्रों के बारे में है लेकिन समाचार-पत्रों में दिये जाने वाले विज्ञापनों तथा प्रचार सामग्री से ही इस अन्तर की पूर्ति होती है। यदि इस कर छूट को बन्द कर दिया गया तो इससे विभिन्न संस्थाओं के प्रचार बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे समाचार पत्र में संकट पैदा हो जाएगा। इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है ताकि किसी भी समाचार-पत्र में दिये जाने वाले विज्ञापन और प्रचार को खण्ड 8 के अनिष्टकारी प्रभाव से मुक्त रखा जा सके।

हम मंत्री महोदय के आभारी हैं कि उन्होंने छोटे समाचार पत्रों को खंड 8 के अनिष्ट-कारी प्रभाव से मुक्त रखा है। छोटे तथा बड़े समाचार पत्रों में जो अन्तर है वह बहुत गुम-राह करने वाला है। जहां तक पैसे की स्वतंत्रता का संबंध है ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और प्रेस की स्वतंत्रता समाचारपत्रों की आर्थिक क्षमता और स्वतंत्रता के साथ सम्बद्ध है और इस पर निर्भर करती है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता की दृष्टि से समाचार-पत्रों में दिये जाने वाले विज्ञापनों और प्रचार सामग्री पर कर लगाना ठीक नहीं है।

यदि समाचार पत्रों की विज्ञापन आय में कमी आती है तो उन्हें विकल्प के रूप में इसका मूल्य बढ़ाना पड़ेगा और इससे समाचार पत्रों की परिचालन संख्या कम हो जायेगी।

मैं इस संशोधन पर इसलिये बल नहीं देता क्योंकि मंत्री महोदय ने संशोधन पेश किया है उससे इसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। किन्तु अन्य संशोधनों के बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार इन पर अवश्य ध्यान दे।

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : महोदय, इस समय देश के हर भाग से यह शिकायत मिल रही है कि माल की बिक्री नहीं है तथा बाजारों में बहुत मंदी है । यदि इस स्थिति में विज्ञापन आदि पर व्यय में कमी की जायेगी तो स्थिति और खराब होगी इसमें उत्पादन में भी कमी होगी तथा बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ेगी। पश्चिम देशों में मंदी आने पर प्रचार और विज्ञापन पर अधिक बल दिया जाता है तथा उससे माल की बिक्री बढ़ जाती है। हमारे देश में यह दृष्टि-कोण नहीं अपनाया जाता । यदि उत्पादन अधिक हो तो वस्तुओं की उत्पादन लागत कम हो जाती है तथा उसका खरीदारों को लाभ होता है। किन्तु हमारे देश में इसके विपरीत होता है । जब मंदी आती है तो उत्पादक अपने माल का उत्पादन घटा देते हैं जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है तथा वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते हैं। देश में यह स्थिति नहीं आने देनी चाहिए ।

विकासशील देशों में बैंक, विपणन, बीमा, परिवहन आदि क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार होता है। यदि आप विपणन कार्यों के समय में कमी करेंगे तो रोजगार क्षमता में कमी होगी तथा मंदी की स्थिति स्थाई बन जायेगी । अतः मेरा सुझाव है कि उत्पादन और रोजगार दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिक्री बढ़ाने के लिये विज्ञापन आदि पर होने वाले खर्च में कटौती नहीं करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त हमारे संविधान के अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत समाचारपत्रों की बिक्री और खरीद पर तथा विज्ञापनों पर कर की व्यवस्था है जिसे केन्द्रीय सरकार वसूल करती है तथा उनमें से राज्यों को हिस्सा देती है। इस बारे में पांचवे दिन आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 79 पर भी कहा गया है कि राज्यों को विज्ञापनों से राजस्व की प्राप्ति सरलता से हो सकती है।

सरकार विज्ञापनों पर व्यय में कमी करके वास्तव में राज्यों सरकारों की आय में कमी करना चाहती है । समाचारपत्रों आदि में विज्ञापनों पर जो व्यय किया जाता है उससे राज्य सरकारों को कर मिलता है किन्तु सरकार इस कर को आयकर का रूप देना चाहती है यह गलत है तथा उससे राज्यों के राजस्व में कमी होगी। साथ ही इससे जनता को भी नुकसान होगा। उत्पादन में कमी होगी। इसलिये मैं इस कर का विरोध करता हूँ। और अपने संशोधन पर बल देता हूँ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : (कोयम्बटूर) : माननीय सदस्यों ने जो अभी कहा है मैं उसमें यह और जोड़ना चाहती हूँ कि इससे क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों और छोटे समाचारपत्रों को बहुत नुकसान होगा। कुछ सहकारी समितियां भी अखबार चलाती हैं तथा इन अखबारों की आय का एकमात्र साधन विज्ञापन है। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बारे में अवश्य ध्यान दें।

श्री एच० एम० पटेल : मैं माननीय सदस्यों के संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि उन संशोधनों का अर्थ है कर न लगाया जाना ।

माननीय सदस्य श्री बनतवाला के इस कथन में कोई सार नहीं है कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य श्री वेंकटा-रमन के कथन से भी सहमत नहीं हूं कि इस उपबन्ध से विज्ञापन देने में कमी हो जायेगी।

मेरे विचार से कोई भी बुद्धिमान उद्योगपति इसलिये विज्ञापनों में कमी नहीं करेगा कि इस पर कर की व्यवस्था की गई है। गत दो वर्षों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी फिर भी तभी से बाजार में मंदी चल रही है तथा वस्तुओं की बिक्री कम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस उपाय से न उद्योग पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा और न समाचारपत्रों पर ही। इससे केवल अपव्यय पर प्रभाव पड़ सकता है और यह उचित भी है।

जहां तक संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 270 (2) में कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय के वितरण की व्यवस्था है। यदि आयकर अधिनियम की धारा 37(3)(क) और संविधान के अनुच्छेद 270(2) को ध्यान से पढा जाए तो ज्ञात होगा कि इस उपबन्ध से होने वाली अतिरिक्त आय भी केन्द्र और राज्य में वितरित होगी। अतः यह कहना भी सच नहीं है कि इससे राज्यों के राजस्व में कमी होगी। इन सभी बातों को देखते हुए स्पष्ट होगा कि यह उपबन्ध केवल अनावश्यक खर्च को रोकने के लिये किया जा रहा है तथा उससे किसी को कोई हानि नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 100, 101 और 102 को मतदान के लिये रखता हुं।

प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ 9, पंक्ति 7,—

"बीस हजार रुपये" के स्थान पर "चालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 100)

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 36 **के पश्चात्** निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(3B) Nothing containd in sub-section (3A) shall apply in relation to any expenditure incurred by an assessee on—

(i) advertisement in any small newspaper;

(ii) advertisement in any newspaper for recruitment of personnel;

(iii) the publication in any newspaper of any notice required to be published by or under any law;

(iv) the maintenance of any office for the purposes of advertisement, publicity or sales promotion;

(v) the payment of salary [as defined in clause (1) of section 17] to any employee engaged in advertisement, publiicity or sales promotion;

(vi) the holding of, or the participation in, any press conference, sales conference, trade convention, trade fair or exhibition;

(vii) publication and distribution of journals, catalogues or price lists;

(viii) such other items as may be prescribed.

Explanation 1.—For the purposes of clause (*i*) an advertisement in a newspaper shall be deemed to be an advertisement in a small newspaper, if the average circulation of such newspaper in the year in which such advertisement has been

published, is certified by the prescribed authority as not exceeding fifteen thousand copies.

Explanation 2.—"Average circulation", in relation to any newspaper, shall be taken to be the number arrived at by dividing the aggregate of the number of copies of such newspaper circulated during a year by the total number of days on which such newspaper was published in that year.

(3C) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing contained in sub-section (3A) shall apply in relation to expenditure in the nature of entertainment expenditure incurred by an assessee in connection with advertisement, publicity or sales promotion and such expenditure shall be governed by the provisions of sub-section (2A)."

[(3ख) उपधारा (3क) की कोई बात किसी निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित के संबंध में उपगत किसी व्यय को लागू नहीं होगी, अर्थात्

(i) किसी लघु समाचार में विज्ञापन;

(ii) कार्मिकों की भर्ती के लिए किसी समाचारपत्र में विज्ञापन;

(iii) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रकाशित किये जाने के लिये अपेक्षित किसी सूचना का किसी समाचार पत्र में प्रकाशन;

(iv) विज्ञापन, प्रचार या विक्रय बढ़ाने के प्रयोजन के लिये कोई कार्यालय रखना;

(v) विज्ञापन, प्रचार या विक्रय बढ़ाने में लगे हुए किसी कर्मचारी को [धारा 17 के खण्ड (1) में परिभाषित] वेतन का संदाय;

(vi) कोई प्रेस सम्मेलन, विक्रय सम्मेलन, व्यापार मेला या प्रदर्शनी लगाना या उसमें भाग लेना;

(vii) पत्रिकाओं, सूचीपत्रों या कीमत सूचियों का प्रकाशन और वितरण;

(viii) ऐसी अन्य मद जो विहित की जाएं।

स्पष्टीकरण 1 : यदि विहित प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणपत्र दिया जाता है कि उस वर्ष में जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, किसी समाचारपत्र की औसत ग्राहक संख्या पंद्रह हजार से अधिक नहीं है तो खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिये उस समाचार पत्र में कोई विज्ञापन लघु समाचार पत्र में विज्ञापन है।

स्पष्टीकरण 2 : किसी समाचारपत्र के संबंध में "औसत ग्राहक संख्या" से वह संख्या समझी जाएगी जो उस वर्ष के दौरान ऐसे समाचारपत्र की परिचालित प्रतियों की संख्या के योग को उस वर्ष में उस समाचारपत्र में प्रकाशित किये जाने के दिनों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त हो।

(3ग) शंकाओं को दूर करने के लिये, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3क) को कोई बात किसी निर्धारिती द्वारा विज्ञापन, प्रचार या विक्रय बढ़ाने के संबंध में उपगत सत्कार व्यय की प्रकृति की व्यय के संबंध में लागू नहीं होगी और ऐसा व्यय उपधारा (2क) के उपबन्धों से शासित होगा।";]

पृष्ठ 9, पंक्ति 37—

(संख्या 101)

"(3B)" [(3ख)] के स्थान पर "(3D)" [(3घ)] प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 102)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए
The amendment Nos. 1 and 2 were put and negatived.

संशोधन संख्या 23, 24 और 117 सभा की अनुमति से वापस लिए गए
The amendment Nos. 23, 24 and 117 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 45 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 45 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न यह है कि:

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 8, as amended, was added to the Bill.

खण्ड-9

श्री आर० वेंकटारामन : महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं।

आयकर अधिनियम की धारा 52 के उपखण्ड (2) को निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि यह आयकर अधिकारी को आवश्यकता से अधिक अधिकार देता है। उसके अधीन आयकर अधिकारी स्वेच्छा से किसी संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करके उस पर आयकर निर्धारित कर सकता है चाहे निर्धारिती को वास्तव में उस आय की प्राप्ति हुई हो या नहीं।

(व्यवधान)

श्री पालकीवाला ने जो कर संबंधी कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ने इस धारा 52 की उपधारा (2) के बारे में कहा है कि यदि उपबन्ध की शाब्दिक व्याख्या की जाये तो यह नितांत असंगत और अनौचित्यपूर्ण है। वास्तव में उपधारा (1) उन पर लागू होती है जो कर का अपवंचन करते हैं या कम आय दिखाते हैं किन्तु उपधारा (2) में यह स्पष्ट

नहीं किया गया। इसीलिये उच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा कि मंत्री महोदय की मंशा यह थी कि यह कानून केवल उन्हीं पर लागू होता है जो कर अपवचन करते हैं। जहां प्रतिफल सही दिखाया गया है उस पर यह कानून लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 25 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 से 12 तक विधेयक में जोड़, दिये गए

Clauses 10 to 12 were added to the Bill.

खण्ड 13

श्री विनोद भाई बी० शेठ : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 14, 15 और 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : मैं अपने संशोधन संख्या 83 और 84 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 15—

पंक्ति 6 से 8 का लोप कर दिया जाए।

(संख्या 103)

पृष्ठ 15—

पंक्ति 21 और 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी" अर्थात्

'(1A) Where the assessee deposits after the 27th day of April, 1978 the full value of the consideration or any part thereof receive or accruing as a result of the transfer of the original asset in any new asset, being a deposit referred to in clause (vi) of Explanation 1 below sub-section (I) the cost of such new asset shall not be taken into account for the purposes of that sub-section unless the following conditions are fulfilled, namely :—

(a) the assessee furnishes, along with the deposit, a declaration in writing, to the bank or the co-operative society referred to in the said clause (vi) with which such deposit is made, to the effect that the assessee will not take any loan or advance on the security of such deposit during a period of three years from the date on which the deposit is made;

(b) the assessee furnishes, along with the return of income for the assessment year relevant to the previous year in which the transfer of the original asset was efiected or within such further time as may be allowed by the Income-tax Officer, a copy of the declaration referred to in clause (a) duly attested by an officer not below the rank of sub-agent, agent or manager of such bank or an officer of corresponding rank of such co-operative society.

(1B) Where on the fulfilment of the conditions specified in sub-section (1A) the cost of the new asset referred to in that sub-section is taken into account for the purposes of sub-section (1), the assessee shall, within a period of ninety days from the expiry of the period of three years reckoned from the date of such deposit, furnish to the Income-tax Officer a certificate from the officer referred to in clause (b) of sub-section (1A) to the effect that the assessee has not taken any loan or advance on the security of such deposit during the said period of three years.";

(c) in sub-section (2), the following *Explanation* shall be inserted at the end, namely :—

'*Explanation*.—Where the assessee deposits after the 27th day of April, 1978 the full value of the consideration or any part thereof rcceived or acruing as a result of the transfer of the original asset in any new asset, being a deposit referred to in clause (vi) of *Explanation* 1 below sub-section (1), and such assessee takes any loan or advance against the security of such deposit, he shall be deemed to have converted (otherwise than by transfer) such deposit into money on the date on which such loan or advance is taken.';

(d) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely :—'

[(1क) जहां निर्धारिती 1978 के अप्रैल के 27वें दिन के पश्चात् किसी मूल आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत होने वाला संपूर्ण प्रतिफल या उसका कोई भाग किसी नई आस्ति में निक्षेप करता है, जो उपधारा (1) के नीचें दिये गये स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (vi) में निर्दिष्ट निक्षेप है, वहां ऐसी नई आस्ति की लागत को उस उपधारा के प्रयोजनों के लिये हिसाब में नहीं लिया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती उक्त खण्ड (vi) में निर्दिष्ट बैंक या सहकारी सोसाइटी को जिसमें ऐसा निक्षेप किया गया है, निक्षेप के साथ इस आशय की लिखित घोषणा देता है कि निर्धारिती निक्षेप करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे निक्षेप की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम नहीं लेगा;

(ख) निर्धारिती उस पूर्व वर्ष में जिसमें मूल आस्ति का अन्तरण किया गया था सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिये आय की विवरणी के साथ या ऐसे अतिरिक्त समय में जो आय-कर अधिकारी द्वारा अनुदत्त किया जाये, ऐसे बैंक के उप-अभिकर्ता, अभिकर्ता

या प्रबंधक से अनिम्न पंक्ति के या सहकारी सोसाइटी में इसके समान पंक्ति के अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित उस घोषणा की प्रति देता है जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट है;

(1ख) जहां उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरी किये जाने पर, उस उपधारा में निर्दिष्ट नई आस्ति की लागत उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये हिसाब में ली जाती है वहां निर्धारिती ऐसे निक्षेप की तारीख से गिने जाने पर तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर, आय-कर अधिकारी को उपधारा (1क) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि निर्धारिती ने उक्त तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे निक्षेप की प्रतिभूति पर उधार या अग्रिम नहीं लिया है।

(ग) उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

'स्पष्टीकरण—जहां निर्धारिती 1978 के अप्रैल के 27वें दिन के पश्चात् किसी मूल आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत होने वाला संपूर्ण प्रतिफल या उसका कोई भाग नई आस्ति में निक्षेप करता है, जो उपधारा (1) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (vi) में निर्दिष्ट निक्षेप है, और ऐसा निर्धारिती ऐसे निक्षेप की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम लेता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को जिसको ऐसा उधार या अग्रिम लिया गया था (अन्तरण से अन्यथा) ऐसे धन को ऐसे निक्षेप के रूप में सम्परिवर्तित किया है।';

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तः-स्थापित की जायेगी अर्थात्—]

(संख्या 104)

पृष्ठ 17,—

पंक्ति 9, के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"*Explanation*.—Where the assessee deposits after the 27th day of April, 1978, the whole or any part of the additional compensation or, as the case may be, the additional consideration referred to in sub-section (3) in any relevant asset, being a deposit referred to in clause (vi) of *Explanation* 1 below sub-section (1), and such assessee takes any loan or advance on the security of such deposit, he shall be deeme to have converted (otherwise than by transfer) such deposit into money on the date on which such loan or advance is taken.

(5) Where the assessee deposits the whole or any part of the additional compensation or, as the case may be, the additional consideration referred to in

sub-section (3) in any relevant asset, being a deposit referred to in clause (vi) of *Explanation* 1 below sub-section (1), the provisions of sub-sections (1A) and (1B) shall apply in relation to such deposit as they apply in relaticn to the deposit referred to in the said sub-sections."

["स्पष्टीकरण—जहां निर्धारिती 1978 के अप्रैल के 27वें दिन के पश्चात् उपधारा (3) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, ऐसा संपूर्ण अतिरिक्त प्रतिकर या उसका कोई भाग या ऐसा संपूर्ण अतिरिक्त प्रतिफल या उसका कोई भाग किसी सुसंगत आस्ति में निक्षेप करता है, जो उपधारा (1) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के खंड (vi) में निर्दिष्ट निक्षेप है, और ऐसा निर्धारिती ऐसे निक्षेप पर कोई उधार या अग्रिम लेता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने उधार या अग्रिम लेने की तारीख को ऐसे निक्षेप को धन में (अन्तरण से अन्यथा) सम्परिवर्तित किया है।

(5) जहां निर्धारिती उपधारा (3) में निर्दिष्ट यथास्थिति, सम्पूर्ण अतिरिक्त प्रतिकर या उसका कोई भाग या ऐसा संपूर्ण प्रतिफल या उसका कोई भाग किसी सुसंगत आस्ति में निक्षेप करता है, जो उपधारा (1) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण 1 के खंड (vi) में निर्दिष्ट निक्षेप है, वहां उपधारा (1क) और (1ख) के उपबन्ध ऐसे निक्षेप के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त उपधाराओं के निक्षेप के संबंध में लागू होते हैं।"]

(संख्या 105)

पृष्ठ 17, पंक्ति 10,

"(5)" के स्थान पर "(6)", प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 106)

पृष्ठ 17, पंक्ति 11

"Explanation 1" "[स्पष्टीकरण 1]" के स्थान पर उपधारा (1) के नीचे दिये गये "Explanation 1" "[स्पष्टीकरण 1]" प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 107)

संशोधन संख्या 104 के खण्ड (ग) में स्पष्टीकरण दें "against" शब्द के स्थान पर " on " शब्द प्रतिस्थापित किया जाये। यह मौखिक परिवर्तन है।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं अपना संशोधन संख्या 118 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : महोदय, यदि वर्तमान कंपनियां विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिये पूंजी लगाती हैं तो उनको भी यह छूट मिलनी चाहिए।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : मेरा विचार है कि मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित संशोधन में मेरे संशोधन का आशय पूरा हो जाता है। अतः मैं उन पर बल नहीं देता।

श्री आर० वेंकटारमन : मेरा सुझाव है कि पहले दो प्रमाणपत्रों को एक में बदल दिया जाये। मंत्री महोदय कृपया इस पर विचार कर लें। मेरे संशोधन का आशय यह है कि आगामी वर्ष के लिये आयकर विवरणी के साथ बैंक का एक प्रमाणपत्र नत्थी करें जिसमें तिथि नाम और राशि अंकित हो। इससे एक प्रमाणपत्र देना ही पर्याप्त होगा।

श्री एच० एम० पटेल : मैं भी यही चाहता था किन्तु आयकर प्राधिकारियों का ऐसा ही सुझाव था।

संशोधन संख्या 14 से 16 सभा की अनुमति से वापस लिये गये

Amendment Nos. 14 to 16 were, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 83 और 84 सभी की अनुमति से वापस लिये गये

Amendment Nos. 83 and 84 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

संशोधन संख्या 118 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

Amendment No. 118 was, by leave, withdrawn.

पृष्ठ 15,—

पंक्ति 6 से 8 का लोप किया जाये

(संख्या 103)

पृष्ठ 15,—

पंक्ति 21 और 22 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

'(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्—

"(1A) Where the assessee deposits after the 27th day of April, 1978 the full value of the consideration of any part thereof received or accruing as a result of the transfer of the original asset in any new asset, being a deposit referred to in clause (vi) of *Explanation* 1. below sub-section (1), the cost of such new asset shall not be taken into acount for the purposes of that sub-section unless the following conditions are fulfilled. namely :—

(a) the assessee furnishes, along with the deposit, a declaration in writing, to the bank or the co-operative society referred to in the said clause (vi) with which such deposit is made, to the effect that the assessee will not take any loan or advance on the security of such deposit during a period of three years from the date on which the deposit is made;

(b) the assessee furnishes along with the return of income for the assessment year relevant to the previous year in which the transfer of the original asset was effected or within such further time as may be allowed by the Income Tax Officer, a copy of the declaration referred to in clause (a) duly attested by an officer not below the rank of sub-agent, agent or manager of such bank or an officer of corresponding rank of such co-operative society.

(1B) Where on the fulfilment of the condition specified in sub-section (1A). the cost of the new asset referred to in that sub-section is taken into account for the purpose of sub-section (1), the assessee shall, within a period of ninety days from the expiry of the period of three years reckoned from the date of such deposit furnish to the Income-tax Officer a certificate from the officer referred to in clause (b) of sub-section (1A) to the effect that the assessee has not taken any loan or advance on the security of such deposit during the said period of three years,";

(c) in sub-section (2), the following *explanation* shall be inserted at the end, namely :—

'*Explanation.*—Where the assessee deposits after the 27th day of April, 1978 the full value of the consideration or any part thereof received or accruing as a result of the transfer of the original asset in any new asset, being a deposit referred to in clause (vi), of *Explanation* 1 below sub-section (1); and such assessee takes any loan or advance on the security of such deposit he shall be deemed to have converted (otherwise than by transfer) such deposit into money on the date on which such loan or advance is taken,';

(d) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely:—'

["(1क) जहां निर्धारिती 1978 के अप्रैल के 27वें दिन के पश्चात् किसी मूल आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत होने वाला संपूर्ण प्रतिफल या उसका कोई भाग किसी नई आस्ति में निक्षेप करता है, जो उपधारा (1) के नीचे दिये गए स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (vi) में निर्दिष्ट निक्षेप है, वहां ऐसी नई आस्ति की लागत को उस उपधारा के प्रयोजनों के लिये हिसाब में नहीं लिया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती उक्त खण्ड (vi) में निर्दिष्ट बैंक या सहकारी सोसाइटी को जिसमें ऐसा निक्षेप किया गया है, निक्षेप के साथ इस आशय की लिखित घोषणा देता है कि निर्धारिती निक्षेप करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे निक्षेप की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम नहीं लेगा।

(ख) निर्धारिती उस पूर्व वर्ष से जिसमें मूल आस्ति का अंतरण किया गया था सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिये आय की विवरणी के साथ या ऐसे अतिरिक्त समय में जो आय-कर अधिकारी द्वारा अनुदत्त किया जाये, ऐसे बैंक के उप-अभिकर्ता या प्रबंधक के अनिम्न पंक्ति के या सहकारी सोसायटी में इसके समान पंक्ति के अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित उस घोषणा की प्रति देता है जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट है;

(1ख) जहां उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरी किये जाने पर, उस उपधारा में निर्दिष्ट नई आस्ति की लागत उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये हिसाब में ली जाती है वहां निर्धारिती ऐसे निक्षेप की तारीख से गिने जाने पर तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर, आयकर अधिकारी को उपधारा (1क) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि निर्धारिती ने उक्त तीन वर्ष की

अवधि के भीतर ऐसे निक्षेप की प्रतिभूति पर उधार या अग्रिम नहीं लिया है।

(ग) उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—जहां निर्धारिती 1978 के अप्रैल के 27वें दिन के पश्चात् किसी मूल आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत होने वाला संपूर्ण प्रतिफल या उसका कोई भाग नई आस्ति में निक्षेप करता है, जो उपधारा (1) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के साथ खण्ड (vi) में निर्दिष्ट निक्षेप है, और ऐसा निर्धारिती ऐसे निक्षेप की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम लेता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को जिसको ऐसा उधार या अग्रिम लिया गया था (अन्तरण से अन्यथा) ऐसे धन को ऐसे निक्षेप के रूप में सम्परिवर्तित किया है;

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्—]

(संख्या 104)

पृष्ठ 17,—

पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"*Explanation.*—Where the assessee deposits after the 27th day of April, 1978, the whole or any part of the additional compensation or, as the case may be, the additional consideration referred to in sub-section (3) in any relevant asset, being a deposit referred to in clause (vi) of *Explanation* 1 below sub-section (1), and such a ssessee takes any loan or advance on the security of such deposit, he shall be deemed to have converted (otherwise than by transfer) such deposit into money on the date on which such loan or advance is taken.

(5) Where the assessee deposits the whole or any part of the additional compensation or, as the case may be, the additional consideration referred to in sub-section (3) in any relevant asset, being a deposit referred to in clause (6) of *Explanation 1* below sub-section (1), the provisions of sub-sections (1A) and (1B) shall apply in relation to such deppsit as they apply in relation to the deposit referred to in the said sub-sections."

["स्पष्टीकरण—जहां निर्धारिती 1978 के अप्रैल के 27वें दिन के पश्चात् उपधारा (3) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, ऐसा संपूर्ण अतिरिक्त प्रतिकर या उसका कोई भाग या ऐसा संपूर्ण अतिरिक्त प्रतिफल या उसका कोई भाग किसी सुसंगत आस्ति में निक्षेप करता है, जो उपधारा (1) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के खंड (vi) में निर्दिष्ट निक्षेप है, और ऐसा निर्धारिती ऐसे निक्षेप पर कोई उधार या अग्रिम लेता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने उधार या अग्रिम लेने की तारीख को ऐसे निक्षेप को धन में (अन्तरण से अन्यथा) सम्परिवर्तित किया है।

(5) जहां निर्धारिती उपधारा (3) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, संपूर्ण अतिरिक्त प्रतिकर या उसका कोई भाग या ऐसा संपूर्ण प्रतिफल या उसका कोई भाग किसी सुसंगत आस्ति में निक्षेप करता है, जो उपधारा (1) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के खंड (vi) में निर्दिष्ट निक्षेप है, वहां उपधारा (1क) और (1ख) के उपबन्ध ऐसे निक्षेप के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त उपधाराओं के निक्षेप के संबंध में लागू होते हैं।" ;]

(संख्या 105)

पृष्ठ 17, पंक्ति 10—

"(5)" के स्थान पर "(6)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 106)

पृष्ठ 17, पंक्ति 11—

"Explanation 1" [स्पष्टीकरण 1] के स्थान पर उपधारा (1) के नीचे दिये गये "Explanation 1" [स्पष्टीकरण 1] प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 107)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13, as amended was added to the bill.

खंड 15

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम खंड 15 पर विचार करेंगे।

श्री आर० वेंकटारमन : आयकर कानून के अनुसार हिन्दू संयुक्त परिवार केवल एक कल्पना मात्र है। इसका प्रयोग केवल कर से बचने और अपवंचन के लिये किया जाता है। वांचू समिति ने भी मेरे इस मत की पुष्टि की है। इस समिति ने कहा है कि उसने आयकर विभाग से हिन्दू संयुक्त परिवार के तीन-चार मामलों में जांच करने को कहा था और यह पाया गया कि हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य का निर्धारण 'व्यक्ति' के रूप में भी किया जाता है और जब भी उसकी आय सीमा से अधिक हो वह अपनी परिसंपत्तियों में अंतरण द्वारा कर का अपवंचन करता है। पिछली सरकार ने इसी आधार पर हिन्दू संयुक्त परिवार को दी जा रही अनेक रियायतें वापस ले लीं थीं। परन्तु अब उन सब को फिर से बहाल किया जा रहा है। इस समय हमारी अर्थव्यवस्था में 1000 करोड़ रुपये का घाटा है। यह समय इस प्रकार की रियायतें देने का नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम वांचू समिति की सिफारिशों के विपरीत कुछ नहीं कर रहे। मैं इस मामले की जांच करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 15 was added to the Bill.

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 16 was added to the Bill.

खंड 17

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : मैं अपने संशोधन संख्या 85 और 86 पेश करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 18, पंक्तियां 26 और 36—

"'purchased" (क्रय) शब्द के स्थान पर "acquired" (अर्जित) शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

(संख्या 108)

पृष्ठ 18,—पंक्ति 34, के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"*Explanation.*—Where in any previous year the assessee has acquired any shares referred to in this sub-section and has within a period of six months from the end of that previous year paid the whole or a part of the amount, if any, remaining unpaid on such shares, the amount so paid shall be deemed to have been paid by the assessee towards the cost of such shares in that previous year."

["**स्पष्टीकरण**—जहां किसी पूर्व वर्ष में निर्धारिती ने इस उपधारा में निर्दिष्ट किन्हीं शेयरों का अर्जन किया है और यदि कोई रकम ऐसे शेयरों पर असंदत्त रही है तो ऐसी सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग का उस पूर्व वर्ष की समाप्ति से छह मास की कालावधि के भीतर संदाय किया है वहां यह समझा जायेगा कि इस प्रकार संदत्त रकम निर्धारिती द्वारा उस पूर्व वर्ष में ऐसे शेयरों की लागत के लिये संदत्त की गई है।"]

(संख्या 109)

पृष्ठ 19, पंक्तियां 10 से 12 तक के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियां प्रतिस्थापित की जायें:—

"the business of—

(i) construction, manufacture or production of any article of thing, not being an article or thing specified in the list in the Eleventh Schedule; or

(ii) providing long-term finance for construction or purchase of houses in India for residential purposes :

Provided that in the case of a public company formed and registered in India with the main object of carrying on the business referred to in sub-clause (ii), such company is approved by the Central Government for the purposes of this section; "

["विरचित और रजिस्ट्रीकृत है और जिसका मुख्य उद्देश्य—

(i) ऐसी वस्तु या चीज का सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन का कारबार चलाना है जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है; या

(ii) भारत में आवासी प्रयोजनों के लिये मकानों के सन्निर्माण या क्रय के लिये दीर्घकालिक वित्तपोषण करना है :

परन्तु यह तब जब कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कारबार चलाने के मुख्य उद्देश्य से भारत में विरचित और रजिस्ट्रीकृत पब्लिक कम्पनी की दशा में, ऐसी कम्पनी का इस धारा के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है ;" ।]

(संख्या 110)

पृष्ठ 20, पंक्ति 13—

"purchase" (क्रय) शब्द के स्थान पर "acquisition" (अर्जन) शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 111)

पृष्ठ 20, पंक्ति 19,—

"purchase" (क्रय) शब्द के स्थान पर "acquired" (अर्जन) शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संख्या 112)

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : मेरा संशोधन संख्या 85 पूंजी के संबंध में है। उप खंड (3) के भाग (घ) के अन्तर्गत प्राधिकारियों को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं। उसी बारे में मेरा विरोध है।

संशोधन [संख्या 86 के द्वारा 5 वर्ष की अवधि को कम करके 2 वर्ष किया जा रहा है। पांच वर्ष की अवधि बहुत अधिक है। इसे कम किया जाना चाहिये।

श्री एच० एम० पटेल : संशोधन संख्या 85 में जिस उपबन्ध का उल्लेख है उसे बहुत सोच समझ कर सम्मिलित किया गया है । सभी शर्तों का अधिनियम में समावेश करना संभव नहीं और अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि नई शर्तों का समावेश करना बहुत आवश्यक है । संशोधन संख्या 86 को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधनों पर मतदान चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अपने संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 85 और 86 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

The amendment 85 and 86 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 18, पंक्तियां 26 और 36,—
'purchased' (क्रय) शब्द के स्थान पर 'acquired' (अर्जित) शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 108)

पृष्ठ 18, पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"*Explanation.*—Where in any previous year the assessee has acquired any shares referred to in this sub-section and has within a period of six months from the end of that previous year paid the whole or a part of the amount, if any, remaining unpaid on such shares, the amount so paid shall be deemed to have been paid by the assessee towards the cost of such shares in that previous year."

[**स्पष्टीकरण**—जहां किसी पूर्व वर्ष में निर्धारिती ने इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट किन्हीं शेयरों का अर्जन किया है और यदि कोई रकम ऐसे शेयरों पर असंगत नही है तो ऐसी सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग का उस पूर्व वर्ष की समाप्ति से 6 मास की कालावधि के भीतर संदाय किया है वहां यह समझा जायेगा कि इस प्रकार संदत्त रकम निर्धारिती द्वारा उस पूर्व वर्ष में ऐसे शेयरों की लागत के लिये संदत की गई है।"]

(संख्या 109)

पृष्ठ 19, पंक्तियां 10 से 12 तक के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियां प्रतिस्थापित की जायें:—

"the business of—

(i) construction, manufacture or production of any article or thing, not being an article or thing specified in the list in the Eleventh Schedule or

(ii) providing long-term finance for construction or purchase of houses in India for residential purposes :

Provided that in the case of a public company formed and registered in India with the main object of carryig on the business referred to in sub-clause (ii) such company is approved by the Central Government for the purposes of this section;"

["विरचित और रजिस्ट्रीकृत है और जिसका मुख्य उद्देश्य—

(1) ऐसी वस्तु या चीज का सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन का कारबार चलाना है जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है, या

(2) भारत में आवासी प्रयोजनों के लिये मकानों के सन्निर्माण या क्रय के लिये दीर्घकालिक वित्तपोषण करना है :

परन्तु यह तब जब कि उपखंड (2) में निर्दिष्ट कारबार चलाने के मुख्य उद्देश्य से भारत में विरचित और रजिस्ट्रीकृत पब्लिक कम्पनी की दशा में, ऐसी कम्पनी का इस धारा के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है," ।

(संख्या 110)]

पृष्ठ 20, पंक्ति 13—

'purchase' (क्रय) शब्द के स्थान पर 'acquisition' (अर्जन) शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 111)

पृष्ठ 20, पंक्ति 19—

'purchase' (क्रय) शब्द के स्थान पर 'acquired' (अर्जन) शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 112)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

खंड 18 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 18 to 23 were added to the Bill.

खंड 24

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं अपने संशोधन संख्या 19 तथा 20 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 25, पंक्ति 24—

'first instalment' (प्रथम किस्त) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये :

"or where he has not previously been assessed by way of regular assessment under this Act, before the date on which the last instalment,"

["या जहां उसे इस अधिनियम के अधीन नियमित निर्धारण के तौर पर पहले निर्धारित नहीं किया गया है वहां उस तारीख के पहले जिसको अन्तिम किस्त, "।]

(संख्या 113)

श्री विनोद भाई बी० शेठ : इससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। सिद्धांत रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि अग्रिम कर अदायगी विवरणी भरने का उत्तरदायित्व निर्धारितियों पर डाला जाना चाहिये। जून मास में हजारों लोगों द्वारा विवरणियां भरी जानी होती हैं अतः मेरा अनुरोध है कि इस तारीख को '15 जून, से बढ़ा कर '15 सितम्बर' कर दिया जाये। इससे सरकार को लाभ होगा।

श्री एच० एम० पटेल : यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि ऐसे कर-दाता जिनका लेखा वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होता है वह अग्रिम कर की पहली किस्त अपने आप जमा कराने को बाध्य नहीं रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर मतदान चाहते हैं।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं इसे वापस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 19 और 20 सभा की अनुमति से वापस लिये गए

The amendments number 19 and 20 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 25, पंक्ति 24--

'first instalment' (प्रथम किस्त) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये:--

"or where he has not previously been assessed by way of regular assessment under this Act, before the date on which the last instalment,"

["या जहां" उसे इस अधिनियम के अधीन नियमित निर्धारण के तौर पर पहले निर्धारित नहीं किया गया है वहां उस तारीख के पहले जिसको अन्तिम किस्त," ।]

(संख्या 113)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 24, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 25 से 35 तक विधेयक में जोड़ दिए गए
Clauses 25 to 35 were added to the Bill.

खंड 36

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं अपना संशोधन संख्या 3 पेश करता हूं।

श्री आर० वैंकटारमन : मैं अपने संशोधन संख्या 29, 30, 31, 47, 50, 73 और 74 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 59 प्रस्तुत करती हूं।

श्री जी० एम० बनतवाला : मेरे संशोधन का उद्देश्य है कि कोयले तथा बिजली को इस शुल्क की परिधि से बाहर रखा जाये। इन पर शुल्क मुद्रास्फीति को बल देगा और आम जनता इससे प्रभावित होगी। बिजली पर शुल्क वास्तव में राज्यों पर शुल्क है। अतः राज्यों के आर्थिक प्राधिकारों पर यह आक्रमण है। अतः सदन के सभी वर्गों द्वारा इसका विरोध किया जाना चाहिये।

केरल, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों ने भी इस शुल्क का विरोध किया है। केरल राज्य में इस शुल्क से केरल राज्य विद्युत बोर्ड पर 8 करोड़ का भार पड़ेगा और यदि इसे उपभोक्ताओं पर अन्तरित किया जाये तो इसका प्रभाव आम जनता तथा छोटे उद्योगपतियों पर पड़ेगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर फिर से विचार करे और कोयले और बिजली को इस शुल्क की परिधि से बाहर रखे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करती हूं।

श्री आर० वैंकटारमन : विद्युत वास्तव में राज्यों के लिये आय स्रोत है और यदि केन्द्र द्वारा यह शुल्क लगाया गया तो राज्यों के बिजली बोर्डों की आय पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। यदि वित्त मंत्री इस शुल्क को समाप्त नहीं करना चाहते तो यह राशि राज्यों को दी जानी चाहिये। यह मेरा संशोधन संख्या 36 है।

मेरा दूसरा संशोधन उन वस्तुओं के बारे में है जो अन्य कहीं पर विनिर्दिष्ट नहीं। इसके प्रभाव स्वरूप मूल्यों में वृद्धि होगी। 2% से बढ़ा कर 5% करना बहुत अधिक वृद्धि है इतनी वृद्धि नहीं की जानी चाहिये।

मेरा संशोधन संख्या 31 लघु उद्योगों के बारे में है। बजट भाषण में कुछ छूटों का उल्लेख है परन्तु उसके साथ ही लघु उद्योगों का वर्गीकरण भी है। मेरा विरोध उस वर्गीकरण के प्रति है। ये रियायतें सभी को समान रूप से दी जानी चाहियें।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान लघु उद्योगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। लघु उद्योगों द्वारा पुराने बर्तन आदि जनता से खरीद कर उनको पिघला कर उनका उपयोग किया जाता है। उस पर भी उत्पादन शुल्क लगाया जाता है जबकि पहली बार नई धातु पर भी उत्पादन शुल्क लग चुका होता है। वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मेरा संशोधन संख्या 57 बिजली पर उत्पाद शुल्क के विरुद्ध है। मेरे राज्य में कुछ समय पूर्व कृषकों में बिजली की अधिक दर के विरुद्ध बहुत असन्तोष था और अब इस को और अधिक बढ़ाया जा रहा है। वास्तव में इस शुल्क का विद्युत उपक्रमों के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ेगा और अन्ततः इस का प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जी० एम० बनतवाला का संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में संशोधन संख्या 3 पर मतदान हुआ

The Lok Sabha divided over amendment No. 3.

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	*Noes*
26	46

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री आर० वेंकटारमन के संशोधन संख्या 29, 30, 31, 47 73 और 74 मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29, 30, 31, 47, 50, 73 और 74 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments number 29, 30, 31, 47, 50, 73 and 74 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्रीमती पार्वती कृष्णन के संशोधन संख्या 57 और 59 मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 57 और 59 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments No. 57 and 59 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 36 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 36 was added to the Bill.

खंड 37

श्री आर० वैंकटारमन : मैं अपना संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 61 प्रस्तुत करती हूं।

श्री आर० वैंकटारमन : विभिन्न वस्तुओं पर पहले, ही से 100–120 प्रतिशत तक का उत्पादन शुल्क है परन्तु अब उसमें 5% की और वृद्धि की गई है और इस बात की जांच नहीं की गई है कि विभिन्न वस्तुएं इस भार को सहन कर सकेंगी कि नहीं। अतः यह वृद्धि उचित नहीं है। इसी के विरुद्ध मेरा संशोधन संख्या 48 है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : अप्रत्यक्ष कराधान में इतनी वृद्धि से मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसी पर मेरा संशोधन है।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे दुख है कि इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार को राजस्व की अपेक्षा है और विशेष रूप से यह उत्पाद शुल्क राजस्व के आय के रूप में रखा गया है। यह बात नहीं मानी जा सकती कि इसका मूल्य वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री आर० वैंकटारमन का संशोधन 48 और श्रीमती पार्वती कृष्णन का संशोधन संख्या 61 मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 48 तथा 61 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments No. 48 and 61 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड 37 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 37 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 37 was added to the Bill.

खंड 38

श्री आर० वैंकटारमन : मैं अपना संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूं। हर वर्ष वित्त विधेयक में प्रावधान करके नमक शुल्क को उस वर्ष के लिए समाप्त किया जाता है। मेरा सुझाव है कि इसे सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाये।

श्री एच० एम ० पटेल : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं परन्तु इस संशोधन को स्वीकार करने से उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी । उसके लिये कुछ अन्य संशोधन भी करने आवश्यक होंगे । अतः इसे अगले वर्ष ध्यान में रखा जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर मतदान चाहते हैं ।

श्री आर० वेंकटारमन : जी नहीं । मैं इसे वापस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 33 सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

The amendment No. 33 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड 38 मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 38 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 38 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 38 was added to the Bill.

खंड 39

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं अपने संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करता हूं ।

100 ग्राम भार वाले पंजीकृत समाचार पत्रों पर इस समय 5 पैसे के डाक टिकट लगते हैं परन्तु सरकारी संशोधन के अनुसार अब 50 ग्राम तक के भार वाले समाचार पत्रों पर 2 पैसे तथा 50 ग्राम से 100 ग्राम तक के भार के समाचार पत्रों पर 5 पैसे के डाक टिकट लगेंगे । यहां तक तो उपबन्ध सराहनीय है परन्तु इसके आगे 100 ग्राम से 250 ग्राम तक के भार वाले समाचार पत्रों पर दर बढ़ाई जा रही है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री एच० एम० पटेल : ये संशोधन मुझे स्वीकार नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 4 और 5 मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 और 5 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments No. 4 and 5 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 39 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 39 was added to the Bill.

खंड 40

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड पर सरकारी संशोधन है। श्री पटेल क्या आप उन पर कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : जी नहीं।

संशोधन किये गये :

Amendment made :

पृष्ठ 39, पंक्ति 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये--

"(a) in Section 4—

(A) in sub-section (1),—"

"(क) धारा 4 में,--

(क) उप-धारा (1) में,--"

(संख्या 114)

"पृष्ठ 39, पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये--

'(B) in sub-section (3),—

(1) in clause (a), for the portion beginning with the words "in a case where the Income-tax Officer" and ending with the words and figures "section 212 of that Act", the following shall be substituted, namely :—

"in a case where a statement is sent by the person under clause (a) of sub-section (1) of section 209A of the Income-tax Act in the financial year immediately preceding that assessment year or where the Income-tax Officer has made an order under sub-section (1) or sub-section (3) of section 210 of that Act requiring the person to pay advance tax during the financial year immediately preceding that assessment year and the person has not sent an estimate under section 209A or, as the case may be, section 212 of that Act";

(2) in clause (b), for the words, brackets, figures and letter "sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (3A) of section 212", the words, figures and letter "section 209A or section 212" shall be substituted;

(b) in section 5, in clause (a), for the word and figures "section 211", the words figures, brackets and letter "section 211 or sub-section (4) of section 209A" shall be substituted;'

"(ख) उपधारा (3) में,—

(1) खंड (क) में "उस दशा में जिसमें आय-कर अधिकारी" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "प्राक्कलन नहीं भेजा है" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात् :—

"उस दशा में जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा उस निर्धारण के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय-वर्ष में आय-कर अधिनियम की धारा 209 क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कथन भेजा जाता है या जहां आयकर अधिकारी ने उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए कि वह उस निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर का संदाय करे, उस अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन आदेश किया है और उस व्यक्ति ने उस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 209क या धारा 212 के अधीन प्राक्कलन नहीं भेजा है।"

(2) खंड (ख) में धारा 212 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (3क) "शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर" धारा 209क या धारा 212" शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे;

(ख) धारा 5, खंड (क) में, "धारा 211" शब्द और अंक के स्थान पर "धारा 211 या धारा 209क की उपधारा (4)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जायेंगे।]

(संख्या 115)

पृष्ठ 39, पंक्ति 30,—

"(b)" (ख) शब्द के स्थान पर "(c)" (ग) प्रतिस्थापित किया जाये।"

(संख्या 116)

(श्री एच० एम० पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 40 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 40, as amended was added to the Bill.

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम भी विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were also added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरी याद के अनुसार अब तक कोई भी ऐसा बजट नहीं पेश किया गया है जिस पर जनता के किसी न किसी वर्ग द्वारा किसी न किसी पहलू पर प्रतिकूल टिप्पणियां न की गई हों। इस बजट का ऐसा कोई भी पहलू नहीं जिसके बारे में जनता के किसी वर्ग ने स्वागत के शब्द कहे हों।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Speaker (*in the chair*)]

पिछले बजट में सरकार ने उपबन्ध रखा था कि ग्रामीण क्षत्रों में विकास कार्य करने वाले औद्योगिक गृहों को कुछ छूट दी जायेगी अर्थात् सरकार उनको ग्रामीण क्षत्रों में आस्तियां अर्जित करने में सहायता करेगी। परन्तु सरकार अब इससे भी एक कदम आगे जा रही है। औद्योगिक गृहों को अब ग्रामीण क्षत्रों में जाने और विकास कार्य करने की आवश्यकता नहीं। वे अब किन्हीं संगठनों की मंजूरशुदा योजनाओं को धन देने के नाम पर भी छूट ले सकते हैं। नकली संस्थाएं बन रही हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उन कथित विकास योजनाओं को कार्यान्वित किया जायगा।

वांचू समिति ने पूंजी लाभ कर पर विस्तार से टिप्पणियां की थीं और अधिनियम में कुछ उपबन्ध भी रख गये थे। परन्तु गत वर्ष के बजट में वह सब समाप्त कर दिया गया। अब यह उपबन्ध किया जा रहा है कि यदि कोई विवाद होगा और पंचाट अथवा न्यायालय निर्णय के अनुसार कोई क्षतिपूर्ति दी जायेगी तो पुनः निवेश की अवधि उक्त तिथि से प्रारंभ होगी।

हिन्दू संयुक्त परिवार के संबंध में वित्त विधेयक, 1976 के द्वारा ऐसे परिवारों के बारे में, जिनमें छूट की सीमा से अधिक आय वाला एक स्वतन्त्र सदस्य हो, रियायतें वापस ले ली गई हैं। वांचू समिति ने पूरी छानबीन के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि इस प्रकार के उपबन्ध किये जायें परन्तु एक ही कलम से उसे समाप्त किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत है।

यदि आप अपनी आय से एक नया शेयर खरीदते हैं तो उस पर आय को छूट दी जायेगी। शेयर खरीदना आस्ती का अर्जन है। उस पर छूट देने का क्या उद्देश्य हो सकता है यह स्पष्ट नहीं। यदि आप किसी नयी कम्पनी के लिए पूंजीगत आस्ती का अर्जन कर रहे हैं तो उस पर छूट दी जाती है परन्तु यदि मैं किसी नए उद्योग की स्थापना पर पूंजी लगाऊं तो उस पर छूट क्यों नहीं दी जाती। यह उपबन्ध केवल किन्हीं स्वार्थों के हित में है।

बजट में बिजली और प्रचार एक अत्यन्त खतरनाक पहलू है। इनका केन्द्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। प्रचार एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा राज्य सरकारें राजस्व उगाह

सकती हैं। अतः सरकार को यह कर नहीं लगाना चाहिये। सरकार इसको आयकर के नाम से अपनी जेब मे डाल रही है और इस को साधारण कर न मान कर राज्यों को उससे मिलने वाले अंश से वंचित किया जा रहा है।

मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर 5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगा कर आम जनता पर बहुत भारी भार डाला जा रहा है। दो वर्ष पूर्व इसकी दर 1 प्रतिशत थी जो गत वर्ष 2 प्रतिशत कर दी गई और अब इसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है।

सरकार अपनी आस्तियों को व्यर्थ नष्ट कर रही है। सरकार के पास जो जमा सोना है उसे बेचा जा रहा है। क्या सरकारी कोष में फिर से सोना जमा हो सकेगा। सोने का आयात किया जा रहा है उसके मूल्य कम करने के विचार से नहीं अपितु आभूषण बना कर उनका फिर से निर्यात करने के उद्देश्य से। इस प्रकार वह परिचालन में नहीं आयेगा। इसके आयात पर विदेशी मुद्रा का व्यय करना आवश्यक नहीं।

वांचू समिति की सिफारिशों के आधार पर एक ढांचा खडा हुआ था परन्तु सरकार एक-एक कदम उठा कर उस ढांचे को नष्ट कर रही है।

वित्त मंत्री ने मूल्यों की स्थिरता की बात की है। परन्तु यह किसी साधारण व्यक्ति से पूछा जाये कि क्या वास्तव में कीमतों में स्थिरता आई है। देश में आज चारों ओर अशांति व्याप्त है। कोई जनता को उसके लिये उकसा नहीं रहा है। परन्तु उसका केवल एक ही कारण है और वह है आर्थिक स्थिति। अभी तो शुरूआत है यह स्थिति और भी बिगड़ेगी। बजट में लगाये गये कर राष्ट्र को और अधिक तनावों की स्थिति में ले जायेंगे। अतः इस बजट का पास करना विनाश के पथ की ओर अग्रसर होना है।

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : (तिरुचिरापल्ली) : मैं सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलांना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली, कोयले और कोक पर कर लगाने का और विशेषरूप से बिजली पर कर का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। सरकार को तमिलनाडु में हाल ही में हुए आन्दोलन से सबक सीखना चाहिए। 1972 में सरकार ने बिजली की दर में 1 पैसे की वृद्धि की जिस पर भारी आन्दोलन हुए। सभी राजनैतिक दलों ने उन का समर्थन किया। अब 16 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की जा रही है। तमिलनाडु में 8 लाख पम्पसैट हैं। किसानों की दिक्कतों पर सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिये। उन्हीं दिक्कतों को लेकर आन्दोलन प्रारम्भ हुआ है।। अभी इसका निपटारा नहीं हुआ है और मैं नहीं जानता कि राज्य सरकार इसे कैसे हल करेगी। किसानों तथा ग्रामीणों के आन्दोलन से निपटने के लिये यहां से सेना नहीं भेजी जानी चाहिये। सेना को दलगत राजनीति से दूर रखा जाना चाहिये अन्यथा इससे देश को बहुत हानि पहुंच सकती है।

विद्युत कर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सातवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है। उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप राज्यों को काफी संसाधन मिलने की आशा है। वित्त मंत्री इस मामले में पुनः विचार करें तथा वह इस अतिरिक्त विद्युत-कर से

पम्पसेटों तथा छोटे एवम् कुटीर उद्योगों को मुक्त रखें । कोयले को भी इस कर से मुक्त रखा जाना चाहिये वरना इससे छोटी फाउन्डरियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

सिगार, तम्बाकू, चमड़ा तथा अन्य उद्योगों पर भी भारी उत्पाद शुल्क लगा हुआ है । उनको जीवित रखने के लिए वित्त मंत्री इन उद्योगों को राहत दें ।

श्री टी० ए० पाई ने स्वर्ण के आयात का स्वागत किया है । उनका कहना है कि इससे कुछ स्वर्णकारों को रोजगार मिलेगा । परन्तु इससे लाभ किसको होगा? इससे तो सूरजमल जैसी बड़ी कम्पनियों को लाभ होगा। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि वास्तविक उपभोक्ताओं को स्वर्ण उपलब्ध हो। उनके लिए कुछ कोटा निर्धारित कर दिया जाना चाहिये उन्हें कार्ड दे दिये जायें ताकि उन्हें रोजगार के समान अवसर मिलें ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं । इस संदर्भ में श्री स्टीफन का प्रभावशाली भाषण भी मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सका है। उनका कहना है कि छोटे लोगों के इक्विटी शेयरों का निगमित क्षेत्र में निवेश किया जाये ताकि 5000 से 10,000 रूपये की छोटी राशियों वाले लोगों को इन कम्पनियों से लाभांश मिलें। उन्होंने इस सन्दर्भ में केन्द्र राज्य संबंधों का भी अनावश्यक रूप से जिक्र किया है जबकि इसका लाभ तो सभी राज्य को मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री का यह कथन भी ध्यान में रखना चाहिए कि बजट में नियतन का 41 प्रतिशत भाग डेरियों, ग्रामीण सड़कों तथा सिंचाई कार्यों पर खर्च किया जायेगा।

पहली बार इतना अधिक निर्भीक बजट पेश हुआ है । स्वर्ण के आयात से न केवल स्वर्णकारों को रोजगार मिलेगा बल्कि इसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति भी रुकेगी । विपक्ष ने इस की भी प्रशंसा नहीं की है कि 1200 रुपये से 2400 रुपये तक रिहाइशी भवनों को किराये पर देने की छूट भी दे दी गई है।

धारा 32 (1) (4) के संशोधन से कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। धारा 35-ख के अधीन राहत से निर्यात विपणन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त धारा 35 गग (क) में संशोधन का भी स्वागत है । परन्तु इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये और वित्त अधिकारियों को पूरी सावधानी तथा काम को शीघ्र निपटाने पर ध्यान देना होगा। वस्तु के रूप में दान को भी कर से कुछ छूट मिलनी चाहिये ।

सम्पदा शुल्क सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है यह राहत बहुत पहले ही दे दी जानी चाहिए थी। वित्त मंत्री ने जनता द्वारा दिये गये अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया है। जिसमें निवेश के लिए पूंजी लाभों के बारे में सुझाव भी शामिल है। इसी प्रकार धारा 80-क (4) में से हिन्दु संयुक्त परिवार को हटाये जाने का भी स्वागत है।

विपक्ष ने इस महत्वपूर्ण रियायत का जिक्र तक नहीं किया है कि 5 लाख रुपये तक के उद्योगों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है । देश का लघु उद्योग इसका भरपूर स्वागत करेगा।

वित्त विधेयक में किये गये अधिकांश संशोधन जनता पार्टी के घोषणापत्र के अनुरूप हैं। विपक्षी सदस्य इनका स्वागत करें।

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV (Pratapgarh) : I rise to support the Finance Bill but I would like to point out that no provision has been made for helpless, landless, unemployed and uneducated people and that Government's policy is not yet clear even after 13 months of Janata rule. Shri George Fernandez the Central Industry Minister has also declared the delay in the announcement of fiscal policy. In a statements he has said that job reservation for all the socially and economically weaker sections and for women should be made. Sixty-five percent of the jobs must be reserved including the existing reservation for Harijans and Adivasis.

It is a mood point today whether the reservations should be based on social, educational or economic grounds. Mr. Speaker, Sir, when you were a justice in the Supreme Court, you had ruled as under—

'The classification of backward classes on the basis of castes is within the purview of Article 15(4) if those castes are shown to be socially and educationally backward. .... There is no gainsaying the fact that there are numerous castes in this country which are socially and educationally backward. To ignore their existence is to ignore the facts of life.' "

This was gone progressive opinion and also binding on the entire country as well as on the Government. But there has been a series of violent incidents on the issue and several lives have been lost. Let the Govt. declare this policy in this respect forthwith.

In 1971 also the Supreme Court had ruled that "in adjusting the claim of both the weaker and the stronger elements, the reservoir for the former should be ordinarily less than 50 per cent although no flexible percentage should be fixed and the acted reservation must depend upon the relevant prevailing circumstances in each case."

This means that the reservations could be more than 50 per cent and also less than 50 percent. Then 90 per cent of the total population are Harijans. adivasis and other backward classes. But not even one percent of them could go into class-I or class II posts. This is grave injustice. Despite Supreme Court's ruling, provision in the constitution and also Janata Party's manifesto pledge nothing has been done to secure 60 per cent for these classes. I appeal that this should be done without further delay.

I would like to cite one more ruling of the Supreme Court which is as under :

"The contention is that the list of the social and educational backward classes for which reservation is made within rule 5 is nothing but a list of certain castes. Therefore, reservation in favour of certain caste based on caste consideration violates article 15(1) which prohibits discrimination on the basis of caste. But it must not be forgotten that caste is also a class of citizen and if the caste as a whole is socially and educationally backaward, reservation can be made in favour of such caste on the ground of it being socially and educationally backward within the meaning of article 15(4)."

Therefore, I request the hon. Finace Minister to give a definite reply on this question.

SHRI GOVIND RAM MIRI (Sarangarh) : Janata Party's manifesto envisages that prime importance will be given to agriculture besides 'antodya'; but practically they did nothing to give relief to the poor folk. It has proved as a mirage for them. I do admit that in one year it is not so easy to undo the evils done to our country in the last thirty years. But we do not see a start as well in that direction.

My constituency is a famine-bit area. Every year 75 to 90 thousand people migrate to U.P. to work in brick-kilns since there are no industries in our area. There is U.P. they are exploited to the extent that even their ladies are raped.They are not paid their legitimate dues also. If some factories or industries are set up in our area, these people will not be compelled to go out. It is well known that our area is the victim of famine for the last 17 years.

Backward people came up to 35 per cent of our total population i.e. every 7th person is a Harijan in India. The facilities of land, subisidy and loans at nominal rates given in the name of those people do not reach them in full. They get only 55 per cent. Thus the provision of Rs. 24·60 crores in the budget for this purpose is not even one per cent of the total allocation. This is not at all sufficient to uplift the people who have been exploited for years together. I request the hon. Minister to arrange for more and adequate money for this purpose.

Our constitution provides for special attention towards the weaker sections of the society particularly the scheduled castes. The same thing has been incorporated in Janata Party's manifesto. But still we do not find any improvement in these lot of the classes.

Nationalisation of banks is just for name's sake. Loans are not being given to the educated unemployed despite having been sanctioned. Also I would request that for the Harijans and adivasis the terms of interest as also the rules in refund to granting of loans to them should be made more easy. and the Govt. should stand security for them. Only then they could be benefited. They are backward because they are economically poor.

The small industries eatablished in villages have been ruined. The shoemakers have been replaced by Bata and blacksmiths have been replaced by Tata. More funds are required for re-juvenating small scale industries in villages.

Recruitment policy in banks, income tax and customs departments should be relaxed in favour of Harijans and Adivasis. Persons who are going in for intercaste marriages should be given money liberally.

The land which is given to Harijans and Adivasis is generally barren, unproductive and un-irrigated. Money should be made available to them for making the land fit for agriculture. Steps should be taken for the rehabilitation of goldsmiths.

The salary and allowances paid to M.Ps. is very little. Many States have given more amenities to M.L.As. In U.P. M.L.A.'s and M.L.Cs. get Rs. 1000/- as pay and almost all the amenities which are available to M.Ps. The Finance Minister should consider this question and provide more money so that M.Ps. could work with honesty.

श्री एच० एम० पटेल : अब हमने बजट पर अच्छी तरह से चर्चा कर ली है। मुझे अफसोस है कि विपक्षी नेता यहां इस समय उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कुछ आरोप लगाये हैं। यदि विपक्षी नेता यह कहते कि यह बजट एक बेकार बजट है, तो मैं इसका बुरा नहीं मानता,

परन्तु यह कहना उचित नहीं है कि वित्त विधेयक में ऐसे विभिन्न उपबन्ध किये गये हैं, जिनका उद्देश्य कुछ बड़े-बड़े व्यापार-गृहों को लाभ पहुंचाना है।

पूंजीगत लाभों में जो परिवर्तन किये गये हैं, उनके बारे में यह कहना कि ये कुछ लोगों के लिये किये गये हैं, ठीक नहीं है। विशेष उपबन्ध यह किया गया है कि जो लोग नये उद्यमों में धन लगायेंगे, उन्हें कर में कुछ रियायतें दी जायेंगी। क्या यह किसी व्यापार-गृह के लिए है? जी, नहीं। यह उन छोटे लोगों के हित में होगा, जो नये उद्योगों में धन लगायेंगे।

विपक्ष के नेता ने यह भी कहा है कि ग्रामीण विकास कार्य के लिए बड़े उद्योग गृहों को रियायतें देना खतरनाक होगा। उनके विचार में ऐसा करना बहुत खराब बात होगी और ऐसा करने से भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा। शायद उन्हें ठीक जानकारी नहीं है और उन्होंने योजना का अध्ययन करने का कष्ट नहीं किया है, अन्यथा उन्हें यह पता होता कि उद्योग गृह केवल उसी ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे, जिसका अनुमोदन निर्धारित प्राधिकरण करेगा। अतः यह योजना उद्योग-गृहों के लाभ के लिए नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये है।

यह भी कहा गया है कि बिजली शुल्क लगाना राज्यों के अधिकारों को कम करना है। जनता सरकार राज्यों और केन्द्र के अधिकारों को भली प्रकार जानती है। कानून के अनुसार बिजली पर शुल्क उचित है। केन्द्र को बिजली के उत्पादन पर शुल्क लगाने का अधिकार है। जिन सदस्यों ने इस शुल्क की आलोचना की है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार की विकास योजनाओं और परियोजनाओं में वित्तीय संसाधनों की वजह से किसी प्रकार की बाधा पहुंची है? क्या इनमें गत दो वर्षों में कोई रुकावट हुई है? क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून से परे हटकर भी कार्यवाही नहीं की कि उनकी विकास योजनाओं में किसी प्रकार की कटौती न हो?

हमारी राय में इन बजट उपबन्धों से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी और हम मुद्रास्फीति को रोक सकेंगे। हम मूल्यों में वृद्धि नहीं होने देंगे। विपक्ष के नेता ने इसे भ्रामक बताया है।

परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। मूल्यों में उतार चढ़ाव तथा उनकी प्रवृत्ति देखने के दो मापदण्ड हैं—थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इन दोनों सूचकांकों से पता चलता है कि मूल्यों की स्थिति क्या है? इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्य स्थिर है। विरोधी पक्ष को मूल्यों की बात नहीं उठानी चाहिए और उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि मूल्य बढ़ रहे हैं; क्योंकि वास्तव में मूल्य बढ़ नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्यय गारण्टी देने की आवश्यकता की अच्छी तरह से पूर्ति करने के उद्देश्य से क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन और अंतरण का और निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक में वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्यय गारण्टी देने की आवश्यकता की अच्छी तरह से पूर्ति करने के उद्देश्य से क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के उपक्रम के अन्तरण तथा अर्जन का उपबन्ध करने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

निक्षेप बीमा निगम बैंक निक्षेपों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 जनवरी, 1962 को की गई थी और इसका उद्देश्य, जमाकर्ताओं, विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को अपने दायित्वों को पूरा करने में बैंक की असमर्थता की हालत में उनके निक्षेपों को हानि के जोखिम से संरक्षण प्रदान करना है।

क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों की गारण्टी देने तथा क्षतिपूर्ति करने के लिए जनवरी, 1971 में स्थापित की गई थी। 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का एक उद्देश्य यह था कि बैंकों से ऋण समाज के कमजोर वर्गों को मिले। जहां क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा शुरू की गई योजना वैकल्पिक है, परन्तु इस योजना में शामिल होने के इच्छुक बैंक को योजना के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों में अपना समूचा ऋण लाना होगा। सभी वाणिज्यिक बैंक इसके लाभों को देखते हुए इस योजना में शामिल हो गये हैं।

दोनों निगमों के उद्देश्य समान हैं—दोनों का उद्देश्य बैंकों तथा जमाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करना है और चूंकि निक्षेप बीमा निगम के संसाधन उसके जोखिम की तुलना में बहुत अधिक हैं और क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन आफ इण्डिया के इससे कम हैं; अतः इस क्रेडिट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को निक्षेप बीमा निगम में अन्तरण करना लाभदायक समझा गया, जिनका नया नाम निक्षेप बीमा और ऋण गारण्टी निगम होगा।

निक्षेप बीमा निगम द्वारा क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन को अपने हाथों में लेने के लिए निगम द्वारा क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन को 2 करोड़ रुपये (जो कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी के बराबर है) मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव किया गया है। निक्षेप बीमा निगम कम्पनी की सभी आस्तियों, दायित्व तथा कार्यभार अपने हाथों में ले लेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा ठीक समय पर क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन को बन्द करने का भी उपबन्ध किया गया है।

क्रडिट गारण्टी कारपोरेशन आफ इण्डिया के उपक्रम के अन्तरण के बाद निगम द्वारा किय जाने वाले अतिरिक्त कारोबार को ध्यान में रखते हुए निक्षप बीमा निगम की प्राधिकृत पूंजी को 5 करोड़ रुपय से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपय करने का भी प्रस्ताव है । विधयक में निक्षेप बीमा निगम अधिनियम में कतिपय संशोधन भी शामिल हैं, जिन्हें अधिनियम को लागू करने से हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझा गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्यय गारण्टी देने की आवश्यकता की अच्छी तरह से पूर्ति करने के उद्देश्य से क्रडिट गारण्टी कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन और अंतरण का और निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय अब हम खंडवार विचार करेंगे। कोई भी संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 9 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 9 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधयक पारित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 2 मई, 1978/12 वैशाख, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, May 2 1978/Vaisakha 12, 1900 (Saka).